

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 जनवरी 2016—माघ 2, शक 1937

## विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2015

क्र. ई-1-37-2015-5-एक (ए).—(1) श्री विनोद कुमार, भाप्रसे (1989), सचिव, मानव अधिकार आयोग को प्रमुख सचिव वेतनमान [रुपये 67,000 (3 प्रतिशत वेतनवृद्धि)—79,000/-] में पदोन्नत करते हुए, इस आदेश के जारी होने की दिनांक से उन्हें अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, सचिव, मानव अधिकार आयोग के पद पर स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है.

(2) उपरोक्तानुसार श्री विनोद कुमार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भाप्रसे(वेतन) नियमावली, 2007 के नियम 9 के अंतर्गत सचिव, मानव अधिकार आयोग के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची-II में सम्मिलित प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

क्र. ई-1-441-2015-5-एक.—श्री आनंद कुमार शर्मा, भाप्रसे (2002), अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई.-1-37-2015-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भाप्रसे के अधिकारियों को प्रमुख सचिव वेतनमान [रुपये 67,000 (3 प्रतिशत वेतनवृद्धि)—79,000/-] में पदोन्नत करते हुए; इस आदेश के जारी होने की दिनांक से उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गए पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया है
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री पंकज अग्रवाल (1992), आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन (अतिरिक्त प्रभार).	वि.क.अ.-सह-आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन (अतिरिक्त प्रभार).	प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन.
2	श्री के. सी. गुप्ता (1992), श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इन्दौर.	वि.क.अ.-सह-श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इन्दौर.	प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन.
3	श्री आशीष श्रीवास्तव (1992), सदस्य, राज्य मण्डल, ग्वालियर, तथा वि.क.अ. कार्यालय विशेष आयुक्त (समन्वय), मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली.	वि.क.अ.-सह-सदस्य, राज्य मण्डल, ग्वालियर तथा वि.क.अ. कार्यालय विशेष आयुक्त (समन्वय), मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली.	प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन.
4	श्रीमती स्मिता भारद्वाज (1992), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर.	प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन.
5	श्री वी. एल. कांताराव (1992), आयुक्त उद्योग, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम/वस्त्र निगम/ लघु उद्योग निगम (अतिरिक्त प्रभार).	वि.क.अ.-सह-आयुक्त उद्योग, मध्यप्रदेश, तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम/वस्त्र निगम/ लघु उद्योग निगम (अतिरिक्त प्रभार).	प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन.
6	श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव (1992), आयुक्त, महिला सशक्तिकरण, मध्यप्रदेश तथा पदेन प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम.	वि.क.अ.-सह-आयुक्त, महिला सशक्तिकरण, मध्यप्रदेश तथा पदेन प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम.	प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन.
7	श्रीमती नीलम शमी राव (1992), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल.	प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन.
8	डॉ. रवीन्द्र कुमार पस्तौर (1992), कमिश्नर, उज्जैन संभाग, उज्जैन.	वि.क.अ.-सह-कमिश्नर, उज्जैन संभाग, उज्जैन.	प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन.
9	श्रीमती सीमा शर्मा (1992), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग.	-

(1)	(2)	(3)	(4)
10	श्री अरूण कुमार पाण्डे (1992), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि विपणन बोर्ड-सह-आयुक्त, मण्डी, भोपाल.	वि.क.अ.-सह-प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश कृषि विपणन बोर्ड-सह-आयुक्त, मण्डी, भोपाल.	प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन.
11	श्री वी. के. बाथम (1992), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग.	-

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी, 2016

क्र. ई.-1-04-2016-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती रेनू तिवारी (2000) संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल.	अपर सचिव मध्यप्रदेश शासन.
2	श्री प्रकाश चन्द्र जांगरे (2004) उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.	कलेक्टर, कटनी	-
3	श्री विकास नरवाल (2008) कलेक्टर, कटनी.	कलेक्टर, सागर.	-
4	श्री भरत यादव (2008) कलेक्टर, सिवनी.	कलेक्टर, बालाघाट.	-
5	श्री व्ही. किरण गोपाल (2008) कलेक्टर, बालाघाट.	संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम तथा पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग.	-
6	श्री धनराजू एस (2009) अपर कलेक्टर, जबलपुर.	कलेक्टर, सिवनी.	-

2. उपरोक्तानुसार श्रीमती रेनू तिवारी द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती जी. व्ही. रश्मि, भाप्रसे (2005), संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा तथा प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम (अतिरिक्त प्रभार) तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (अतिरिक्त प्रभार) को केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2016

क्र. ई-5-409-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एस.आर. मोहन्ती, भाप्रसे, (1982) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2015 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश, दिनांक 24 एवं 25 दिसम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश की अनुमति सहित कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस.आर. मोहन्ती को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री एस.आर. मोहन्ती को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस.आर. मोहन्ती अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-462-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री ए. पी. श्रीवास्तव, आयएस., अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को दिनांक 18 से 28 जनवरी 2016 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री ए. पी. श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री ए. पी. श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ए. पी. श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-620-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती नीलम शमी राव, आयएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल को दिनांक 7 जनवरी 2016 से 7 मई 2016 तक एक सौ बाईस दिन का चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्रीमती नीलम शमी राव, आयएस के अवकाश की अवधि में उनका प्रभार श्री मनोहर अगनानी भाप्रसे, आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश तथा सचिव, सामाजिक न्याय विभाग एवं आयुक्त, सामाजिक न्याय को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती नीलम शमी राव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती नीलम शमी राव, द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मनोहर अगनानी उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती नीलम शमी राव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती नीलम शमी राव अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई-5-674-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एस. के. मिश्रा, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम एवं प्रबंध संचालक, राज्य कृषि उद्योग विकास निगम को दिनांक 1 से 9 फरवरी 2016 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री एस. के. मिश्रा, की अवकाश अवधि में जनसंपर्क एवं मध्यप्रदेश माध्यम का प्रभार श्री अनुपम राजन, भाप्रसे, आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश को तथा प्रबंध संचालक, कृषि उद्योग विकास निगम का प्रभार श्री महेन्द्र सिंह धाकड़, भावसे (1989) संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, म. प्र. को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. मिश्रा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, म. प्र. माध्यम एवं प्रबंध संचालक, राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री एस. के. मिश्रा द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग तथा प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश माध्यम एवं प्रबंध संचालक, राज्य कृषि उद्योग विकास निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अनुपम राजन, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश माध्यम तथा श्री महेन्द्र सिंह धाकड़ भावसे (1989) प्रबंध संचालक, कृषि उद्योग विकास निगम, के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री एस. के. मिश्रा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-761-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती सूरज डामोर, आयएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 28 दिसम्बर 2015 से 8 जनवरी 2016 तक बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सूरज डामोर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती सूरज डामोर को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सूरज डामोर अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई-5-792-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल, आयएएस., कलेक्टर, जिला बैतूल को दिनांक 8 से 22 जनवरी 2016 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल की अवकाश अवधि में श्री सौरभ कुमार सुमन, भाप्रसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बैतूल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला बैतूल का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला बैतूल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल द्वारा कलेक्टर, जिला बैतूल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री सौरभ कुमार सुमन कलेक्टर, जिला बैतूल के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-801-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री जी. पी. श्रीवास्तव, आयएएस., (1997) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 4 से 18 दिसम्बर 2015 तक, पन्द्रह दिन का लघुकृत अवकाश दिनांक 19 एवं 20 दिसम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश की अनुमति सहित कार्योंतर स्वीकृत किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री जी. पी. श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. पी. श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-843-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री नीरज दुबे, आयएएस., कलेक्टर, जिला खरगोन को दिनांक 5 से 7 जनवरी 2016 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री नीरज दुबे की अवकाश अवधि में श्री पी. आर. कतरोलिया, अपर कलेक्टर, जिला खरगोन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला खरगोन का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री नीरज दुबे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला खरगोन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री नीरज दुबे द्वारा कलेक्टर, जिला खरगोन का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री पी. आर. कतरोलिया, कलेक्टर, जिला खरगोन के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री नीरज दुबे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीरज दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-857-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी. आयएएस., कलेक्टर, जिला बुरहानपुर को दिनांक 11 से 15 जनवरी 2016 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 9, 10 एवं 16, 17 जनवरी 2016 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी. की अवकाश अवधि में श्री प्रकाश रेवाल, अपर कलेक्टर, बुरहानपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला बुरहानपुर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी. को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला बुरहानपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी. द्वारा कलेक्टर, जिला बुरहानपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रकाश रेवाल कलेक्टर, जिला बुरहानपुर के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री आईरिन सिंथिया जे. पी. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई-5-894-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. अशोक कुमार भार्गव, आयएएस., अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग को दिनांक 4 से 25 जनवरी 2016 तक बाईस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. अशोक कुमार भार्गव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर सचिव, परिवहन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में डॉ. अशोक कुमार भार्गव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. अशोक कुमार भार्गव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2016

क्र. ई-1-26-2012-5-एक.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक 14015-13-2012-AIS(I)-B, दिनांक 24 नवम्बर 2015 जिसके द्वारा श्री नागेन्द्र प्रसाद मिश्रा, राप्रसे., अपर कलेक्टर, रीवा को राज्य प्रशासनिक सेवा से पदोन्नति द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में दिनांक 24 नवम्बर 2015 को नियुक्त किया गया है, के अनुक्रम में श्री मिश्रा, जो राप्रसे, संवर्ग के संवर्गीय पद पर पदस्थ हैं, को दिनांक 24 नवम्बर 2015 से भाप्रसे, संवर्ग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित किया जाता है.

क्र. ई-5-803-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री के. के. खरे, आयएएस., कमिश्नर, ग्वालियर संभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 5 दिसम्बर 2015 द्वारा दिनांक 16 से 30 दिसम्बर 2015 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए अब उन्हें दिनांक 28 से 30 दिसम्बर 2015 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश, कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 5 दिसम्बर 2015 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अन्टोनी डिसा, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2015

क्र. एफ 5-21-2015-एक(1).—उच्च न्यायालय, न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्री एस. के. गंगेले, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय,

जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं:—

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	दिनांक 03-12-2015 से 04-12-2015.	02	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित	अवकाश के पश्चात् 05-12-2015 व 06-12-2015 के सार्व-जनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
के. के. कातिया, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015

क्र. ई-1-466-2015-5-एक.—श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव, भाप्रसे (1996), आयुक्त-सह-संचालक, पुरातत्व एवं संग्रहालय एवं कार्यपालक संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एफ्को) (अतिरिक्त प्रभार) तथा आयुक्त-सह-संचालक, संस्कृति तथा स्वराज संस्थान (अतिरिक्त प्रभार) को केवल आयुक्त-सह-संचालक, संस्कृति तथा स्वराज संस्थान के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए उन्हें अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भंडार गृह निगम का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(2) श्री राजेश प्रसाद मिश्रा, भाप्रसे (1998), संचालक, मध्यप्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी) तथा पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग तथा संचालक, मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक संचालक, संस्कृति तथा स्वराज संस्थान का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

(3) श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, भाप्रसे (2010), आयुक्त, नगर निगम, सागर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक कलेक्टर, सागर का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अनुभा श्रीवास्तव, उप सचिव "कार्मिक".

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर, 2015

क्र. ई-5-690-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री अनिरुद्ध मुकर्जी, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5 दिसम्बर 2015 द्वारा दिनांक 14 से 18 दिसम्बर 2015 तक पांच दिन को अर्जित अवकाश दिनांक 12, 13 एवं 19, 20 दिसम्बर 2015 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**फजल मोहम्मद, अवर सचिव "कार्मिक".**

### गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2016

क्र. एफ-1(ए) 94-99-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री उमेश जोगा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, चंबल जोन मुरैना को दि. 18 से 23 जनवरी 2016 तक कुल छः दिवस अर्जित अवकाश, दि. 16, 17 एवं 24 जनवरी 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री उमेश जोगा, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री आदर्श कटियार, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, ग्वालियर जोन ग्वालियर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री उमेश जोगा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, चंबल जोन मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री उमेश जोगा, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यमुक्त हो जावेंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री उमेश जोगा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उमेश जोगा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2016

क्र. एफ-1(ए) 11-93-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दि. 23 से 29 दिसम्बर 15 तक कुल सात दिवस अर्जित अवकाश, स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री आर.एल. प्रजापति, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, भोपाल रेंज भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यमुक्त हो जावेंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं।

क्र. एफ-1(ए) 265-86-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री सरबजीत सिंह, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक, गुप्तवार्ता पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दि. 18 जनवरी 2016 से 1 फरवरी 2016 तक कुल पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश, 16, 17 जनवरी 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री सरबजीत सिंह, भापुसे की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य सुश्री सोनाली मिश्रा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सरबजीत सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष पुलिस महानिदेशक, गुप्तवार्ता पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री सरबजीत सिंह, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यमुक्त हो जावेंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री सरबजीत सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सरबजीत सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए) 59-2015-ब-2-दो.—श्री पंकज कुमावत,

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सागर को पुलिस मुख्यालय द्वारा स्वीकृत दि. 17 से 28 दिसम्बर 2015, तक बारह दिवस अर्जित अवकाश के साथ विज्ञप्त अवकाश अवधि में स्वयं को खण्ड वर्ष 14-17 प्रथम पार्ट वर्ष 2014-15 में गृह नगर यात्रा की अवकाश यात्रा सुविधा के तहत गृह नगर जयपुर (राजस्थान) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र. एफ-1(बी) 85-14-बी-4-दो.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15-12-15 द्वारा वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन शास्त्र) के पद पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से चयनित श्री आशीष कुमार सोनी, टाईप-3/314, अनुप्रताप कालोनी, पीओ, भाभानगर, रावत भाटा वाया कोटा, राजस्थान-323307 की नियुक्ति उपरांत पदस्थापना क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, ग्वालियर में की गई है। उक्त आदेश की कंडिका-2 के अनुसार श्री आशीष सोनी को नियुक्ति आदेश प्राप्त की 15 दिवस की अवधि में पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माने जाने के संबंध में निर्देशित किया गया है।

(2) पुलिस मुख्यालय के पत्र क्रं. अअवि/एफएसएल/924/15, दिनांक 26 दिसम्बर 2015 के अनुसार श्री आशीष कुमार सोनी द्वारा वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन शास्त्र) के पद पर नियुक्ति उपरांत क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, ग्वालियर में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

(3) अतः राज्य शासन द्वारा म. प्र. लोक सेवा आयोग, इंदौर के पत्र क्रं. 13143/44/13/चयन, दिनांक 29 अक्टूबर 14 द्वारा इस विभाग को वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन शास्त्र) के पद पर चयन संबंधी प्रेषित चयन सूची के स.क्रं.-21 (अनुक्रमांक-102341) में उल्लेखित श्री आशीष सोनी की वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन शास्त्र) के पद पर नियुक्ति के संबंध में जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 15 अक्टूबर 2015 को निरस्त किया जाकर उक्त पद पर श्री आशीष सोनी के नियुक्ति संबंधी दावे को सदैव के लिये समाप्त मान्य किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2016

क्र. एफ-1(ए) 28-13-ब-2-दो.—श्री राहुल कुमार लोधा, भापुसे को पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा स्वीकृत दि. 26 दिसम्बर 2015 का एक दिवस अर्जित अवकाश के साथ 24 एवं 25 दिसम्बर 2015 विज्ञप्त अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 प्रथम पार्ट वर्ष 2014-15 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की अवकाश यात्रा के तहत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ गोवा जाने की अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति प्रदान की जाती है:—

क्रमांक	परिवार के सदस्यों के नाम	संबंध
1	श्री राहुल कुमार लोधा	स्वयं
2	श्रीमती शुभी	पत्नी
3	कु. स्वरा	पुत्री

क्र. एफ-1(ए) 61-2009-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा

श्री नवल सिंह रघुवंशी, भा.पु.से., उप महानिरीक्षक, (पी.टी.आर.आई.) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दि. 11 से 17 दिसम्बर 2015 तक कुल सात दिवस अर्जित अवकाश के उपभोग पश्चात कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री नवल सिंह रघुवंशी, भा.पु.से., को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न उप महानिरीक्षक, (पी.टी.आर.आई.) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाश काल में श्री नवल सिंह रघुवंशी, भा.पु.से., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि श्री नवल सिंह रघुवंशी, भा.पु.से., उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ-1(ए) 76-08-ब-2-दो.—श्री सुशान्त कुमार सक्सेना, भापुसे को पुलिस अधीक्षक, शहडोल को पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा स्वीकृत दि. 10 से 19 फरवरी 2016 तक दस दिवस अर्जित अवकाश अवधि में खण्ड वर्ष 2014-17 प्रथम पार्ट वर्ष 2014-15 में गृह नगर की अवकाश यात्रा सुविधा के बदले में भारत भ्रमण की सुविधा अवकाश यात्रा सुविधा के तहत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अंडमान-निकोबार दीप समूह (पोर्ट ब्लेयर) की अवकाश यात्रा अनुमति के साथ दस दिवस, अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

क्रमांक	परिवार के सदस्यों के नाम	संबंध
1	श्री सुशान्त कुमार सक्सेना	स्वयं
2	श्रीमती मीनाक्षी	पत्नी
3	श्री स्वास्तिक	पुत्र

क्र. एफ-1(ए) 398-88-ब-2-दो.—राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दि. 21 दिसम्बर 2015 द्वारा डॉ. विजय कुमार भापुसे, अतिरिक्त महानिदेशक, अग्निशमन सेवाएँ, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को स्वीकृत अर्जित अवकाश में दि. 01 से 2 जनवरी 2016 तक कुल दो दिवस अर्जित अवकाश की वृद्धि की जाती है।

(2) समसंख्यक आदेश की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी।

क्र. एफ-1(ए) 169-89-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री एस. एल. थाउसेन, भा.पु.से. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अजाक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दि. 25 जनवरी 2016 से 6 फरवरी 2016 तक कुल पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश, दि. 24 जनवरी 2016 एवं 7 फरवरी 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री एस. एल. थाउसेन, भा.पु.से. की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्रीमती अरुणा मोहनराव, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, महिला अपराध, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा।



(3) अवकाश से लौटने पर श्री एस. एल. थाउसेन, भा.पु.से. को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, अजाक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री एस. एल. थाउसेन, भा.पु.से. द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यमुक्त हो जावेंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री एस. एल. थाउसेन, भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. एल. थाउसेन, भा.पु.से. उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कमला उपाध्याय, अवर सचिव।

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 2015

फा. क्र. 17 (ई) 83-इक्कीस-ब (एक)-3535-015.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का संख्यांक 36) की धारा 153 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना एफ. क्रमांक 17(ई) 83-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 24 सितम्बर 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है:—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में अनुक्रमांक 2, 6, 8, 19, 24, 25, 34, 36, 37, 43, 50, 51, 68, 72, 80, 92 एवं 104-ए तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं:—

### सारणी

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत क्षेत्र के अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)
2	अलीराजपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जोबट	जोबट का विद्युत क्षेत्र
6	बालाघाट	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बालाघाट	सिविल जिला बालाघाट का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 7 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)।
8	बड़वानी	विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 बड़वानी।	सिविल जिला, बड़वानी का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 09 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)।
19	छतरपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नौगांव।	नौगांव का विद्युत क्षेत्र।
24	दतिया	विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 दतिया।	सिविल जिला, दतिया का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 25 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)।
25	दतिया	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सेवड़ा।	सेवड़ा का विद्युत क्षेत्र।
34	खण्डवा	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खण्डवा।	सिविल जिला खंडवा का संपूर्ण विद्युत क्षेत्र
36	गुना	विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989।	सिविल जिला, गुना का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 37 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)।
37	गुना	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, चांचोडा	चांचोड़ा का विद्युत क्षेत्र।

(1)	(2)	(3)	(4)
43	होशंगाबाद	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सोहागपुर	सोहागपुर एवं पचमढ़ी का विद्युत क्षेत्र
50	जबलपुर	*अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 8.	सिविल जिला जबलपुर का पश्चिम संभाग एवं ग्रामीण विद्युत क्षेत्र.
51	जबलपुर	*अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 9.	सिविल जिला जबलपुर का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 50 एवं 52 के न्यायालय को दी गई अधिकारिता को छोड़कर).
68	पन्ना	विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 पन्ना.	सिविल जिला, पन्ना का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 69 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
72	राजगढ़	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, राजगढ़	सिविल जिला राजगढ़, के समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 73, 74 एवं 74-ए के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
80	सागर	तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सागर	सिविल जिला सागर एवं बण्ड के समस्त विद्युत क्षेत्र
92	शहडोल	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश ब्यौहारी	ब्यौहारी का विद्युत क्षेत्र.
104-ए	उज्जैन	नवम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश	सिविल जिला उज्जैन के समस्त शहरी विद्युत क्षेत्र

**टिप्पणी:**—विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अंतरित हो जायेंगे.

F. No. 17(E)83-03-XXI-B(One)-3535-015.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)83/03/XXI-B(1) dated 16th September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-I dated 24th September, 2010, namely:—

#### AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for serial Numbers 2, 6, 8, 19, 24, 25, 34, 36, 37, 43, 50, 51, 68, 72, 80, 92 & 104-A and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of Civil District	Name of Special Court	Territorial jurisdiction of the Special Court (According to Electricity Area)
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Alirazpur	Additional Sessions Judge, Jobat.	Electricity area of Jobat
6	Balaghat	IIInd Additional Sessions Judge ASJ, Balaghat.	All electricity area of Civil District Balaghat (excluding the territorial jurisdiction of Special Court given at serial number 7).
8	Barwani	Special Judge SC/ST (POA) Act, Barwani.	All electricity area of Civil District Barwani (excluding the territorial jurisdiction of Special Court given at serial number 9).

(1)	(2)	(3)	(4)
19	Chhatarpur	Additional Sessions Judge, Nowgaon.	Electricity area of Nowgaon.
24	Datia		All electricity area of Civil District Datia (excluding the territorial jurisdiction of Special Court given at serial number 25).
25	Datia	Additional Sessions Judge, Seodha.	Electricity area of Seodha
34	Khandwa	IIIrd Additional Sessions Judge, Khandwa.	All electricity area of Civil District Khandwa.
36	Guna	Special Judge SC/ST (POA) Act, Guna.	All electricity area of Civil District Guna (excluding the territorial jurisdiction of Special Court given at serial number 37).
37	Guna	Additional Sessions Judge, Chachoda.	Electricity area of Chachoda.
43	Hoshangabad	Ist Additional Sessions Judge, Sohagpur.	Electricity area of Sohagpur and Pachmadi.
50	Jabalpur	Additional Sessions Judge, Special Court no. 8.	Electricity area of West Division & Rural area of Civil District Jabalpur
51	Jabalpur	Additional Sessions Judge, Special Court no. 9.	All electricity area of Civil District Jabalpur (excluding the territorial jurisdiction of Special Court given at serial number 50 & 52).
68	Panna	Special Judge SC/ST (POA) Act, Panna.	All electricity area of Civil District Panna (excluding the territorial jurisdiction of Special Court given at serial number 69).
72	Rajgarh	Ist Additional Sessions Judge, Rajgarh.	All electricity area of Civil District Rajgarh (excluding the territorial jurisdiction of Special Court given at serial number 73, 74 & 74-A).
80	Sagar	IIIrd Additional Sessions Judge Sagar.	All electricity area of Civil District Sagar and Banda.
92	Shahdol	Additional Sessions Judge, Beohari.	Electricity area of Beohari.
104-A	Ujjain	IXth Additional Sessions Judge Ujjan.	All Urban Electricity area of Civil District Ujjain.

**NOTE:**—The pending cases of the Special Court shall be stand transferred to newly constituted court according to their territorial jurisdiction.

फा. क्र. 17 (ई) 83-03-इक्कीस-ब (एक)-3535-2015.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का संख्यांक 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई) 83-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 24 सितम्बर 2010 में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है अर्थात्:—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 2, 6, 8, 19, 24, 25, 34, 36, 37, 43, 51, 68, 72, 80, 92 एवं 104-ए तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं:—

### सारणी

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
2	अलीराजपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जोबट	श्री दगडू सिंह चौहान, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जोबट.
6	बालाघाट	द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बालाघाट	श्री माखन लाल झोड़, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बालाघाट.
8	बड़वानी	विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 बड़वानी.	श्री अखिलेश जोशी, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 बड़वानी.
19	छतरपुर	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नौगांव.	श्री शैलेन्द्र कुमार नागोत्रा, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, नौगांव.
24	दतिया	विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 दतिया.	श्री बी.एस. ओहरिया, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 दतिया.
25	दतिया	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सेवदा.	श्री अनूप कुमार त्रिपाठी, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सेवदा.
34	खण्डवा	तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खण्डवा.	श्री प्रकाश चंद्रा, तृतीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, खण्डवा.
36	गुना	विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989.	श्री अमरनाथ, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, गुना.
37	गुना	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, चांचोड़ा	श्री विजय सिंह कवाछ, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, चांचोड़ा.
43	होशंगाबाद	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सोहागपुर	श्री के. एस. शाक्य, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, सोहागपुर.
51	जबलपुर	*अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 9.	श्री धरम पाल सिंह शिवाच, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक 9, जबलपुर.
68	पन्ना	विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 पन्ना.	श्री आर. एन. चौधरी, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, पन्ना.

(1)	(2)	(3)	(4)
72	राजगढ़	प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, राजगढ़	श्रीमती विभावरी जोशी, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, राजगढ़.
80	सागर	तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश, सागर	श्री योगेश कुमार गुप्ता, तृतीय अपर सेशन न्यायाधीश सागर.
92	शहडोल	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश ब्यौहारी	श्री राजदीप सिंह ठाकुर, अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश ब्यौहारी.
104-ए	उज्जैन	नवम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश	कु. जसवीर कौर सासन, नवम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश.

F. No. 17(E)83-03-XXI-B(One)-3535-015.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)83/03/XXI-B(1) dated 16th September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-I dated 24th September, 2010, namely:—

#### AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for serial no. 2, 6, 8, 19, 24, 25, 34, 36, 37, 43, 51, 68, 72, 80, 92 & 104-A and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

#### TABLE

S. No. (1)	Name of Civil District (2)	Name of Special Court (3)	Name of the Judge of the Special Court (4)
2	Alirazpur	Additional Sessions Judge, Jobat	Shri Dagdoo Singh Chouhan, Additional Sessions Judge, Jobat.
6	Balaghat	IInd Additional Sessions Judge ASJ, Balaghat.	Shri Makhan Lal Jhod, IInd Additional Sessions Judge, Balaghat.
8	Barwani	Special Judge SC/ST (POA) Act, Barwani.	Shri Ajay Prakash Mishra, Special Judge SC/ST (POA) Act, Barwani.
19	Chhatarpur	Additional Sessions Judge, Nowgaon.	Shri Shailendra Kumar Nagotra Additional Sessions Judge Nowgaon.
24	Datia	Special Judge SC/ST (POA) Act, Datia.	Shri B.S.Ohriya, Special Judge SC/ST (POA) Act, Datia.
25	Datia	Additional Sessions Judge, Seodha.	Shri Anoop Kumar Tripathi, Additional Sessions Judge, Seodha.
34	Khandwa	IIIrd Additional Sessions Judge, Khandwa.	Shri Prakash Chandra, IIIrd Additional Sessions Judge, Khandwa.
36	Guna	Special Judge SC/ST (POA) Act, Guna.	Shri Amarnath, Special Judge SC/ST (POA) Act, Guna.
37	Guna	Additional Sessions Judge, Chachoda	Shri Vijay Singh Kawacha, Additional Sessions Judge, Chachoda.
43	Hoshangabad	Ist Additional Sessions Judge, Sohagpur.	Shri K. S. Shakya, Ist Additional Sessions Judge, Sohagpur.
51	Jabalpur	Additional Sessions Judge, Special Court No. 9.	Shri Dharam Pal Singh Shivach, Additional Sessions Judge, Special Court No. 9.

(1)	(2)	(3)	(4)
68	Panna	Special Judge SC/ST (POA) Act, Panna.	Shri R. N. Choudhary, Special Judge SC/ST (POA) Act, Panna.
72	Rajgarh	Ist Additional Sessions Judge, Rajgarh.	Smt. Vibhawari Joshi, Ist Additional Sessions Judge, Rajgarh.
80	Sagar	IIIrd Additional Sessions Judge Sagar.	Shri Yogesh Kumar Gupta, IIIrd Additional Sessions Judge, Sagar.
92	Shahdol	Additional Sessions Judge, Beohari.	Shri Rajdeep Singh Thakur, ASJ, Beohari.
104-A	Ujjain	IXth Additional Sessions Judge Ujjain.	Ku. Jasveer Kuar Sasan, IXth Additional Sessions Judge, Ujjain.

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2015

फा. क्र. 3(बी)01-2007-इक्कीस-ब(एक)-3977.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, म. प्र. उच्च न्यायालय की अनुशंसा दिनांक 17 दिसम्बर 2015 को मान्य करते हुए श्री राजेश कुमार यादव सेवारत व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर), (वर्तमान में तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2) छतरपुर का म. प्र. उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 1994 के नियम 14 (क) एवं म. प्र. न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 1994 के नियम 16 (क) के प्रावधान के अंतर्गत धारणाधिकार के साथ त्याग-पत्र तत्काल प्रभाव स्वीकार करता है।

फा. क्र. 3(बी)01-2007-इक्कीस-ब(एक)-4057.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, म. प्र. उच्च न्यायालय की अनुशंसा दिनांक 23 दिसम्बर 2015 को मान्य करते हुए श्री उत्सव चतुर्वेदी सेवारत व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर), (वर्तमान में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बीना, जिला सागर) का म. प्र. उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 1994 के नियम 14 (क) एवं म. प्र. न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 1994 के नियम 16 (क) के प्रावधान के अंतर्गत धारणाधिकार के साथ त्याग-पत्र तत्काल प्रभाव स्वीकार करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
विरेन्द्र सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2015

फा. क्र. 17 (ई)8-2012-1969-इक्कीस-ब(एक)-3061-2015.—मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2011 (क्रमांक 8 सन् 2012) की धारा 3 की उपधारा (1) के साथ पठित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)8-2012-इक्कीस-ब(एक) दिनांक 2 मार्च, 2012 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 2 मार्च, 2012 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है:—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुक्रमांक 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं:—

अनु. क्रमांक	न्यायाधीश का नाम	मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 की धारा 3 (1) के अधीन गठित विशेष न्यायालय का नाम	मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
4	श्री योगेश चन्द्र गुप्ता, षष्ठम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जबलपुर.	विशेष न्यायालय क्रमांक-2 जबलपुर	जबलपुर.

F. No. 17(E)8-2012-XXI-B(One)-3061/2015.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Adhinyam, 2011 (No. 8 of 2012) read with sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988) the State Government with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendment in this department's Notification F. No. 17(E)8-2012-XXI-B(One) dated 2 nd March, 2012, which was published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary) dated 2nd March 2012:—

## AMENDMENT

In the said Notification for Serial No. 4 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto, shall be substituted, :—

## TABLE

S. No.	Name of the Judge	Name of the Special Court constituted u/s 3(1) of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Adhinyam 2011	Headquarter
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Shri Yogesh Chandra Gupta, VIth Additional Sessions Judge, Jabalpur.	Special Court No. 2, Jabalpur	Jabalpur

फा. क्र. 17 (ई)8-2012-इक्कीस-ब(एक)-3061-2015.—मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम, 2012 के नियम 8 के उपनियम (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 17(ई)8-2012-इक्कीस-ब(एक) दिनांक 2 मार्च, 2012 में जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 02 मार्च, 2012 को प्रकाशित हुई थी, एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है:—

## संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुक्रमांक 4 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं:—

## सारणी

अनु.	प्राधिकृत अधिकारी का नाम	मुख्यालय का नाम	अधिकारिता
(1)	(2)	(3)	(4)
4	श्री योगेश चन्द्र गुप्ता, षष्ठम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश एवं प्राधिकृत अधिकारी, विशेष न्यायालय क्रमांक 2 जबलपुर.	जबलपुर	राजस्व जिला, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, रीवा, सिंगरौली और सीधी का समाविष्ट क्षेत्र.

F. No. 17(E)8-2012-XXI-B(One)-3061/2015.—In exercise of the powers conferred by Sub-rule (1) of Rule 8 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalaya Niyam, 2012 the State government, in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes following amendment in this Department's Notification F. No. 17(E)8-2012-XXI-B(One) dated 2nd March, 2012, which was published in the Madhya Pradesh Gazette. (Extra-ordinary) dated 2nd March 2012:—

## AMENDMENT

In the said Notification for Serial No. 4 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto, shall be substituted, :—

## TABLE

S. No.	Name of Authorized Officer	Place of Headquarter	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Shri Yogesh Chandra Gupta, VIth Additional Sessions Judge, and Authorized Officer, Special Court No. 2 Jabalpur.	Jabalpur	Area comprising of Revenue Districts Jabalpur, Katni, Narsinghpur, Chhindwara, Seoni, Mandla, Balaghat, Rewa, Singruli and Sidhi.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. वाणी, सचिव.

## नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2016

### सूचना

क्र. एफ-3-22-2012-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012), की धारा 23-“क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की सूचना क्रमांक-एफ-3-22-2012-बत्तीस, दिनांक 27 मई 2015 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित जबलपुर विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है: उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार है:—

### अनुसूची

क्रमांक (1)	ग्राम (2)	खसरा क्र. (3)	क्षेत्रफल (एकड़ में) (4)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग (5)	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग (6)
1	ग्राम जिलहरी.	73/1, 74/1, 75/1, 76/1, 78/1, 79/2, 79/3, 79/4, 80/1, 80/2, 81/2, 81/1, 84/1, 14/1, 15/1, 16/1	7.736	कृषि परिवहन एवं संवहन तथा मार्ग (45 मीटर मार्ग)	आवासीय

योग . . . 7.736

- यह कि आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 15 के अन्तर्गत देय राशि रु. 3,94,53,600/- (रुपये तीन करोड़ चौरानवे लाख त्रैपन हजार छः सौ रुपये मात्र) दिनांक 24 दिसम्बर 2015 को भारतीय स्टेट बैंक तुलाराम चौक शाखा जबलपुर के चालान क्रमांक-021632575/44 द्वारा राजकीय कोष में जमा कर दी है.
- आवेदक को ग्वारीघाट मुख्य मार्ग से प्रश्नाधीन स्थल तक वर्तमान 12 मीटर चौड़े राजस्व मार्ग का उन्नयन कर 18 मीटर चौड़ीकरण स्वयं के व्यय पर करना होगा.
- रेल्वे की सीमा से 30 मीटर तक किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व आवेदक को रेल्वे विभाग से पृथक से अनापत्ति प्राप्त करना होगा.
- नगर निगम को स्थानांतरण होने तक आवेदक को विद्युत व्यवस्था, जल प्रदाय व्यवस्था, जलमल निकासी की सम्पूर्ण व्यवस्था स्वयं के नाम पर करनी होगी.
- आवेदित भूमि पर स्थित वृक्षों को यथावत रखना होगा.
- आवासीय विकास अनुज्ञा देते समय मार्ग से प्रभावित प्रश्नाधीन भूमि पर वर्तमान में कोई विकास अनुज्ञा नहीं दी जाये. मार्ग के संबंधित भूमि का उपांतरण तभी मान्य होगा जब पुनर्विलोकित विकास योजना में उक्त मार्ग के भाग का विलोपन कर दिया जायेगा तथा इस भूमि पर आवासीय विकास प्रस्तावित किया जायेगा.
- अतः उपरोक्त उपांतरण जबलपुर विकास योजना 2021 को एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस. के. मुद्गल, उपसचिव.



### राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दासौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मन्दासौर, दिनांक 8 जनवरी 2016

क्र. 96-2015-प्र. क्र. 02/अ-82-14-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में आक्याबीका तालाब योजना तहसील मल्हारगढ़ जिला मन्दासौर की तालाब योजनान्तर्गत ग्राम रूपारेल के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) के उल्लेखित है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

#### अनुसूची (1)

ग्राम—रूपारेल

तहसील:—मल्हारगढ़

स. क्र. (1)	विवरण (2)	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)		
		सिंचित (3)	असिंचित (4)	योग (5)
1	निजी भूमि	0.200	-	0.200
2	शासकीय पट्टेदारों की भूमि	0.000	0.870	0.870
कुल योग . .		0.200	0.870	1.070

#### अनुसूची (2)

आक्याबीका तालाब योजना

ग्राम—रूपारेल, तहसील—मल्हारगढ़, जिला—मन्दासौर

#### आक्याबीका तालाब योजना में आने वाली निजी भूमि का विवरण

स. क्र. (1)	प्रभावित कृषक का नाम (2)	खसरा नम्बर (3)	कुल भूमि का रकबा		प्रभावित भूमि	
			सिंचित (4)	असिंचित (5)	असिंचित (6)	कुल (7)
1	प्यारा पति रामा बलाई	95/1	0.240	0.040	-	0.040
2	जमनीबाई पति बिहारी निवासी सरवानिया	96	0.210	0.050	-	0.050
3	बालमुकुंद पिता कारूलाल, विनोद पिता लक्ष्मीनारायण, महेश पिता किशनलाल कुल्मी निवासी आक्याबीका.	97	1.200	0.040	-	0.040
4	श्यामलाल पिता मांगू बंजारा निवासी सरवानिया	98 मीन 2	0.790	0.070	-	0.070
5	बगदीराम पिता हुसैन मेहतर (शास.पटा. ग्रहिता)	160 मीन 1	0.370	-	0.370	0.370
6	रोशन पिता हुसैन मेहतर (शास.पटा. ग्रहिता)	170/2	0.500	-	0.500	0.500
कुल योग . .			3.310	0.200	0.870	1.070

(2) भूमि के नक्शे का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, मल्हारगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 97-2016-प्र. क्र. 03/अ-82-14-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में मिण्डलाखेडा तालाब योजना तहसील मल्हारगढ़ जिला मन्दसौर की तालाब योजनान्तर्गत ग्राम मिण्डलाखेडा के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) के उल्लेखित है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

### अनुसूची (1)

ग्राम—मिण्डलाखेडा

तहसील:—मल्हारगढ़

स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	निजी भूमि	1.06	-	1.06
कुल योग . .		1.06	-	1.06

### अनुसूची (2)

मिण्डलाखेडा तालाब योजना

ग्राम—मिण्डलाखेडा, तहसील—मल्हारगढ़, जिला—मन्दसौर

मिण्डलाखेडा तालाब योजना में आने वाली निजी भूमि का विवरण

स. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	मानसिंह पिता लक्ष्मणसिंह चौहान	24	3.50	1.00	-	1.00
2	अनोसलाल पिता नरसिंहलाल कुल्मी	71/4	0.29	0.06	-	0.06
कुल योग . .			3.79	0.06	-	1.06

(2) भूमि के नक्शे का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी मल्हारगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 98-2016-प्र. क्र. 01/अ-82-15-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में आक्याबीका तालाब योजना तहसील मल्हारगढ़ जिला मन्दसौर की तालाब योजनान्तर्गत ग्राम आक्याबीका के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) के उल्लेखित है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

### अनुसूची (1)

ग्राम—आक्याबीका

तहसील:—मल्हारगढ़

स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	निजी भूमि	0.680	-	0.680
2	शासकीय पट्टेदारों की भूमि	2.040	0.880	2.920
कुल योग . .		2.720	0.880	3.600

## अनुसूची (2)

## आक्याबीका तालाब योजना

## ग्राम—आक्याबीका, तहसील—मल्हारगढ़, जिला—मन्दासौर

स. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	जगदीशदास पिता किशनदास बैरागी	127/1 मीन 1	0.740	0.080	-	0.080
2	सोहनबाई पति दामोदार दास	136/1	0.320	0.090	-	0.90
3	कैलाशचन्द्र पिता भेरूलाल लोहर	132/1 मिन 1	0.050	0.050	-	0.050
4	दोलतराम पिता केशुराम	147/3	0.660	0.160	0.160	0.320
5	रामकुंवर बेवा चुन्नीलाल, भागीरथ, जमनालाल पिता चुन्नीलाल.	132/2 मीन 2	0.250	0.140	-	0.140
6	प्रदीप पिता जादूलाल बलाई (शास. पटा. ग्रहिता)	125/2	0.500	0.220	0.280	0.500
7	बाबुलाल पिता किशनलाल चमार (शास. पटा. ग्रहिता).	142	0.650	0.250	0.400	0.650
8	रमेश पिता लक्ष्मण बलाई (शास. पटा. ग्रहिता)	156	0.410	0.410	-	0.410
9	कैलाश पिता लक्ष्मण बलाई (शास. पटा. ग्रहिता)	160	0.620	0.100	-	0.100
10	शांतिबाई बेवा मांगीलाल खटीक (शास. पटा. ग्रहिता)	161	0.510	0.310	0.200	0.510
11	कारूलाल पिता हिरालाल चमार (शास. पटा. ग्रहिता)	239/2	0.750	0.750	-	0.750
कुल योग . .				2.560	1.040	3.600

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मन्दासौर जिले में आक्याबीका सीमा पर तालाब निर्माण के लिये.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड मल्हारगढ़ के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 99-2015-प्र. क्र. 02/अ-82-15-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक

(1) में दौखाड़ा तालाब योजना तहसील मल्हारगढ़ जिला मन्दासौर की तालाब योजनान्तर्गत ग्राम तालाब पिपलिया के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) के उल्लेखित है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

## अनुसूची (1)

## ग्राम—तालाब पिपलिया

तहसील:—मल्हारगढ़

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)		
		सिंचित	असिंचित	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	निजी भूमि	1.50	2.69	4.19
कुल योग . .		1.50	2.69	4.19

## अनुसूची (2)

## दौरवाडा तालाब योजना

## ग्राम—तालाब पिपलिया, तहसील—मल्हारगढ़, जिला—मन्दासौर

## दौरवाडा तालाब योजना में आने वाली निजी भूमि का विवरण

स. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल हे.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	अर्जुनसिंह पिता भंवरसिंह सुमित्राबाई बेवा भंवरसिंह जाति सो. राजपूत.	827 मिन-2	0.48	0.48	-	0.48
2	प्रेमसिंह पिता अमरसिंह जाति सो. राज	792	0.59	-	0.16	0.16
3	डूंगरसिंह, मदनसिंह पिता मानसिंह	797 मिन-4	0.06	0.05	0.01	0.06
4	कमलसिंह पिता मदनसिंह, अर्जुनसिंह पिता डूंगरसिंह जाति सो. राजपूत.	701	0.03	0.02	0.01	0.03
5	कमलसिंह पिता मदनसिंह जाति सो. राज.	700 मिन-2 703 मिन-2	0.15 0.08	0.015 0.08	-	0.15 0.08
6	दिलीपसिंह, नरेन्द्रसिंह पिता करणसिंह जाति सो. राजपूत.	797 मिन-2	0.04	-	0.04	0.04
7	ईश्वरसिंह पिता गंगारामसिंह जाति सो. राजपूत	797 मिन-3 796 मिन-1	0.25 0.19	- 0.19	0.25 -	0.25 0.19
8	रामसिंह, ईश्वरसिंह, लक्ष्मणसिंह पिता गंगारामसिंह, प्रेमसिंह, रायसिंह पिता अमरसिंह, शीतलसिंह पिता उकारसिंह जाति सो. राजपूत.	796 मिन-2 797 मिन-1	0.30 0.21	0.03 -	0.27 0.21	- -
9	मोड़सिंह पिता लालसिंह	798 मिन-1	0.07	-	0.07	-
10	हरीसिंह पिता धासीसिंह जाति सो. राजपूत	794 मिन-1	0.37	-	0.17	-
11	हरिसिंह पिता धांसीसिंह हि. 1/2 बापूसिंह, भोपालसिंह, उदयसिंह, जुझारसिंह पिता लालसिंह जाति सो. राज.	793	1.24	-	0.30	-
12	कारू पिता कान्हा व भारतीबाई पति कारू जाति चमार (शासकीय भूमि पर पट्टेदार).	835 मिन-1	1.00	0.50	-	-
13	नानूराम पिता मांगीलाल जाति भील (शासकीय भूमि पर पट्टेदार).	835 मिन-2	0.50	-	0.40	-
14	नारू पिता परथा जाति भील (शासकीय भूमि पर पट्टेदार).	835 मिन-3	0.50	-	0.40	-
15	बगदीबाई बेवा रामा जाति भील (शासकीय भूमि पर पट्टेदार).	835 मिन-4	0.50	-	0.40	-
कुल योग . .			6.56	1.50	2.69	4.19

भूमि के नक्शे का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, मल्हारगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 100-2016-प्र. क्र. 03/अ-82-15-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में दौरवाडा तालाब योजना तहसील मल्हारगढ़ जिला मन्दासौर की तालाब योजनान्तर्गत ग्राम दौरवाडा के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) के उल्लेखित है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित

अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

### अनुसूची (1)

ग्राम—दौरवाडा

तहसील:—मल्हारगढ़

स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	निजी भूमि	1.35	1.91	3.26
कुल योग . . .		1.35	1.91	3.26

### अनुसूची (2)

दौरवाडा तालाब योजना

ग्राम—दौरवाडा, तहसील—मल्हारगढ़, जिला—मन्दसौर

#### दौरवाडा तालाब योजना में आने वाली निजी भूमि का विवरण

स. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	कंवरबाई, बापूसिंह, जसवंतसिंह, हरिसिंह पिता सज्जनसिंह.	1856	0.24	0.22	-	0.22
2	भेरूसिंह, बापूसिंह, उदयसिंह, सज्जनसिंह पिता रूपसिंह काशीबाई बेवा रूपसिंह.	1968	1.01	0.99	0.01	1.00
3	बापूसिंह पिता नाथूसिंह राजपूत	1901	0.37	0.07	-	0.07
4	मनोहरसिंह, हरिसिंह पिता उदयसिंह कंचनबाई बेवा उदयसिंह राजपूत.	1900	0.37	0.05	-	0.05
5	भगतसिंह पिता भंवरसिंह जाति सो. राजपूत	1837/1/मिन-2	0.35	0.02	-	0.02
6	मुकेश पिता रामलाल लीलाबाई पति मुकेश जाति मेहतर (शास. भूमि का पट्टेदार).	1910/2	0.71	-	0.40	0.40
7	दिनेश पिता भुवान प्रेमलता पति दिनेश (शासकीय भूमि पर पट्टेदार).	1988/1	0.50	-	0.50	0.50
8	राकेश पिता भुवान संगिताबाई पति राकेश (शासकीय भूमि पर पट्टेदार).	1988/3	0.50	-	0.50	0.50
9	राजेश पिता भुवान उषाबाई पति राजेश (शासकीय भूमि पर पट्टेदार).	1988/4	0.50	-	0.50	0.50
कुल योग . . .			4.55	1.35	1.91	3.26

भूमि के नक्शे का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, मल्हारगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 101-2016-प्र. क्र. 04/अ-82-15-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में टिडवास से बडा हिगोरिया (व्हाया बरखेडा डांगी) मार्ग के ग्राम बरखेडा डांगी तहसील मल्हारगढ़, जिला मन्दसौर की मार्ग के ग्राम

बरखेड़ा डांगी मार्ग योजनान्तर्गत ग्राम बरखेड़ा डांगी के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) के उल्लेखित है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

### अनुसूची (1)

ग्राम—बरखेड़ा डांगी

तहसील:—मल्हारगढ़

स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (वर्ग मीटर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	निजी भूमि	1680	1470	3150
कुल योग . . .		1680	1470	3150

### अनुसूची (2)

टिडवास से बड़ा हिगोरिया (व्हाया बरखेड़ा डांगी) मार्ग

ग्राम—बरखेड़ा डांगी, तहसील—मल्हारगढ़, जिला—मन्दासौर

### टिडवास से बड़ा हिगोरिया (व्हाया बरखेड़ा डांगी मार्ग) में आने वाली निजी भूमि का विवरण

स. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नम्बर	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि वर्गमीटर में		
				सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	राधाबाई पति मूलचंद खटीक निवासी संजीत	730 पे. 2	0.040	-	270	270
2	अमरसिंह, मोतीलाल, हीरालाल पिता पुरालाल जाति डांगी निवासी बरखेड़ा डांगी.	734/1	0.150	960	-	960
3	हिरालाल पिता रूपा जाति डांगी निवासी बरखेड़ा डांगी.	736	0.180	720	-	720
4	बालु पिता मांगीलाल जाति डांगी निवासी बरखेड़ा डांगी.	701 पे 2	0.180	-	720	720
5	नाथीबाई बेवा रामलाल, बालुराम, केलाश पिता रामलाल डांगी निवासी बरखेड़ा डांगी.	739/2	0.070	-	480	480
कुल योग . . .				1680	1470	3150

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड मल्हारगढ़ के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर मध्यप्रदेश

छतरपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2015

क्र. 38-एस.सी.1-2015.—मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-1999/4 दिनांक 30 मार्च 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक 4 के नियम 8 के अनुसार जिले के भीतर तीन स्थानीय अवकाश की घोषणा करने के लिये अधिकृत किया गया है।

अतः सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 अनुक्रमांक-4 की कण्डिका-8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं डॉ. मसूद अख्तर, कलेक्टर, छतरपुर वर्ष 2016 के लिये जिला अंतर्गत निम्न त्योंहारों पर उनके समक्ष दर्शाई गई तारीखों को पूरे दिन के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ।

स. क्र.	त्यौहार/पर्व	अवकाश का दिनांक	अवकाश का दिन	विशेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	मकर संक्रांति	15-01-2016	शुक्रवार	
02	बसंतोत्सव (होली का दूसरा दिन)	24-03-2016	गुरुवार	
03	भाईदोज (दीपावली)	01-11-2016	मंगलवार	

मसूद अख्तर, कलेक्टर.

## कार्यालय, कलेक्टर, एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी) जिला बुरहानपुर

बुरहानपुर, दिनांक 3 जनवरी 2016

क्र.-क-नि. शा.-मण्डी-2016.—एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कृषि उपज मण्डी समिति 77—बुरहानपुर जिला बुरहानपुर के वार्ड क्रमांक-07—डोईफोडिया के उप निर्वाचन 2015 में निम्नानुसार कृषक प्रतिनिधि निर्वाचित घोषित किये गये हैं:—

क्रमांक	निर्वाचित सदस्य का नाम	पद जिसके लिये निर्वाचित हुए	पता
(1)	(2)	(3)	(4)
01	श्री. मोतीलाल पिता हीरालाल	कृषक प्रतिनिधि	ग्राम ताजनापुर, पोस्ट डोईफोडिया तहसील खकनार जिला बुरहानपुर.

जे. पी. आईरिन सिंथिया, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

## कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2016

क्र. एफ-1-7-15-रा.स.-यू.ए.-1-75.—मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के प्रावधान के तहत देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु पैनल अनुशंसित करने के लिए इस सचिवालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-6-15-रा.स.-यू.ए.-1-1447 दिनांक 4 दिसम्बर 2015 के द्वारा डॉ. ए. लक्ष्मीनाथ, कुलपति, चाणक्य नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, पटना की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है समिति में प्रो. एच. देवराज, उपाध्यक्ष, यू. जी. सी., नई दिल्ली एवं श्री गुलाब शर्मा, जिला न्यायाधीश (सेवानिवृत्त), इंदौर सदस्य हैं।

2. समिति को गठन दिनांक से छः सप्ताह में बैठक कर पैनल प्रस्तुत करना था परन्तु अपरिहार्य कारणों से समिति द्वारा निर्धारित छः सप्ताह की समयावधि में बैठक कर पैनल प्रस्तुत नहीं किया जा सका है।

3. अतः मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 13 की उपधारा (5) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपतिजी के द्वारा पैनल प्रस्तुत करने के लिए समिति को पूर्व निर्धारित छः सप्ताह की समयावधि में 3 सप्ताह की ओर वृद्धि की गई है।

कुलाधिपति, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर के आदेशानुसार,  
शैलेन्द्र कियावत, राज्यपाल के उपसचिव.

## संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2016

क्र. गन्ना-एस-3-क्षे.आ.-करेली-2015-16-27.—मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं मोहनलाल, गन्ना, आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2015-16 हेतु करेली शुगर मिल प्रा. लिमि., करेली, जिला-नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश के लिए नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ:—

क्र.	जिला/तहसील	क्रय केन्द्र	ग्रामों की संख्या	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	नरसिंहपुर/करेली	फैक्ट्री गेट+मेरेगांव	92	9958.81
2	नरसिंहपुर/गाडरवारा	पुरगावां+मेरेगांव	82	9326.13
3	नरसिंहपुर/नरसिंहपुर	फैक्ट्री गेट	13	859.89
योग . .			187	20144.83

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये हैं, उनकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा.

### करेली शुगर मिल प्रा. लि. गन्ना क्षेत्र आरक्षण पिआई सत्र—2015-16 गन्ना क्षेत्र आरक्षण हेतु ग्रामों की सूची तहसील—करेली

क्र.	ग्राम का नाम	क्षेत्र की कारखाने से दूरी	परिवहन का साधन	प.ह.न.	गन्ना फसल आच्छादित क्षेत्र			योग गन्ना क्षेत्र हेक्टेयर में	उत्पादन 50 टन प्रति हे.	पिआई हेतु उपलब्ध गन्ना हे. में वर्ष 2014-15 में	क्रय केन्द्र का नाम
					रोपा 14-15 में	जड़ी 13-14 में	मड़ी 12-13 में				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(9)	(10)
1	खैरी	13	-	12	53.00	50.00	41.00	144.00	-	80.00	मेरेगांव
2	खैरूआ	15	-	12	30.10	35.21	25.00	90.31	-	56.00	मेरेगांव
3	गुरासिया	27	-	12	8.50	8.50	8.00	25.00	-	10.00	
4	पिपरिया	13	-	12	80.00	85.00	60.50	225.50	-	135.00	मेरेगांव
5	महलपुरा	10	-	12	16.50	16.00	16.00	48.50	-	20.00	
6	मेरेगांव	15	-	12	16.88	15.00	16.10	47.98	-	25.10	मेरेगांव
7	रेवानगर	22	-	12	18.00	20.00	14.62	52.62	-	26.00	मेरेगांव
8	लुटवारा	17	-	12	6.30	6.00	6.20	18.50	-	10.50	
9	पलोहा	26	-	3	17.00	17.00	13.00	47.00	-	20.10	
10	अम्हेटा	10	-	21	80.00	95.00	32.00	207.00	-	140.50	
11	करौंदा	12	-	21	10.00	9.10	8.00	27.10	-	12.60	
12	खिरिया	7	-	21	33.00	33.00	23.00	89.00	-	50.00	
13	बीनेर	8	-	21	45.00	40.00	30.00	115.00	-	85.00	
14	मोहद	6	-	21	120.45	174.00	115.00	409.45	-	320.00	
15	आमगाँव	8	-	22	168.00	207.00	56.50	431.50	-	260.00	
16	वधुवार	5	-	22	149.40	145.30	48.30	343.00	-	225.00	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(9)	(10)
17	बम्होरी	12	-	22	71.00	60.00	37.65	168.65	-	90.10	
18	करेली	5	-	17	332.10	318.41	309.40	959.91	-	675.00	
19	कठोतिया	8	-	16	176.50	157.30	115.20	449.00	-	355.10	
20	जनौर	9	-	16	66.00	65.00	37.00	168.00	-	125.00	
21	पिपरिया	11	-	14	60.10	53.40	35.00	148.50	-	86.00	
22	बसेडी	10	-	14	31.00	20.40	19.60	71.00	-	42.00	
23	राकई	12	-	14	141.50	137.50	80.00	359.00	-	220.10	
24	कुम्हडी	14	-	15	32.00	25.00	23.00	80.00	-	60.00	
25	खैरी	12	-	15	45.00	55.46	36.00	136.46	-	82.00	
26	रामपिपरिया	15	-	15	25.10	27.00	13.00	65.10	-	38.00	
27	सुरंगी	18	-	15	15.00	14.60	11.00	40.60	-	24.10	
28	कंधरापुर	20	-	20	36.00	40.00	17.00	93.00	-	50.00	
29	करहैया	25	-	20	8.10	7.50	7.00	22.60	-	12.10	
30	कोसमखेडा	25	-	20	50.00	57.10	34.50	141.60	-	84.00	
31	कौडिया	13	-	20	9.50	7.70	7.00	24.20	-	12.10	
32	जल्लापुर	25	-	20	29.15	24.10	24.00	77.25	-	40.00	
33	पिपरिया	14	-	20	31.60	24.40	20.00	76.00	-	39.10	
34	विचुआ खुर्द	22	-	20	8.20	8.00	7.00	23.20	-	12.00	
35	विचुआ कला	21	-	20	10.00	10.00	6.00	26.00	-	14.00	
36	बेलखेडी	28	-	20	17.70	18.00	14.10	49.80	-	25.00	
37	जीरागोरा	27	-	24	7.20	8.50	6.50	22.20	-	11.50	
38	दिल्लेरी	20	-	24	5.60	6.00	4.00	15.60	-	8.60	
39	नयाखेडा	15	-	24	140.60	160.40	70.00	371.00	-	22.00	
40	करहैया	20	-	24	7.50	5.50	6.40	19.40	-	7.00	
41	बासादेही	16	-	24	32.00	30.50	17.80	80.30	-	45.00	
42	इमलिया	6	-	24	12.50	11.30	10.00	33.80	-	18.00	
43	कोदसा	9	-	13	100.00	115.00	65.00	280.00	-	175.00	मेरेगांव
44	गोंगावली	7	-	13	35.00	32.00	33.00	100.00	-	66.00	
45	जौहरिया	6	-	13	37.10	25.00	20.10	82.20	-	42.00	
46	देगोंवा	10	-	13	8.70	8.20	6.50	23.40	-	12.00	
47	बसखेडा	10	-	13	33.00	35.30	15.70	84.00	-	46.00	
48	बासादेही	7	-	13	39.00	35.50	15.50	90.00	-	54.00	
49	करताज	26	-	19	40.10	41.00	28.00	109.10	-	61.00	
50	कपुरी	32	-	19	61.00	82.00	38.00	181.00	-	90.00	
51	गौडी	19	-	19	20.20	13.30	12.00	45.50	-	30.00	
52	तिघरा	18	-	19	4.50	5.00	5.00	14.50	-	8.00	
53	पिपरिया	22	-	19	15.00	15.00	10.00	40.00	-	23.00	
54	मैनावारी	25	-	19	20.00	20.00	15.00	55.00	-	31.00	
55	रैहली	21	-	19	20.00	45.00	20.50	85.50	-	51.00	
56	खापा	24	-	26	7.50	7.00	6.50	21.00	-	12.00	
57	नानौरी	15	-	26	12.00	11.00	12.00	35.00	-	20.00	
58	निवारी	17	-	26	40.50	60.00	27.00	127.50	-	83.00	
59	विचुआ कला	19	-	26	8.00	10.00	7.00	25.00	-	15.00	
60	महगुँवा	15	-	26	18.10	17.50	15.00	50.60	-	30.50	
61	रमखिरिया	20	-	27	22.50	18.50	11.50	52.50	-	31.00	
62	हिनौतिया	28	-	27	9.50	11.50	8.50	29.50	-	????	
63	माचामड	13	-	27	6.60	7.50	7.00	21.10	-	11.50	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(9)	(10)
64	गोवरगाँव	10	-	23	45.60	53.40	18.60	117.60	-	90.00	
65	तिन्सरा	15	-	23	30.00	35.00	21.00	86.00	-	46.00	
66	पिपरिया	15	-	23	35.00	40.00	25.00	100.00	-	55.00	
67	बरौदिया	15	-	23	39.50	35.50	15.00	90.00	-	60.00	
68	सिमरिया खुर्द	11	-	23	31.60	34.20	24.60	90.40	-	60.00	
69	सिमसिया कला	12	-	23	22.00	21.00	12.60	55.60	-	29.50	
70	गिघवानी	8	-	18	43.50	43.00	36.50	123.00	-	70.00	
71	सासबहू	12	-	18	78.50	85.00	45.00	208.50	-	140.00	
72	जोवा	7	-	18	62.00	60.00	38.00	160.00	-	90.50	
73	भुगवारा	7	-	18	115.50	111.50	43.00	270.00	-	165.00	
74	चमरूआ	10	-	18	7.57	10.00	7.00	24.57	-	15.00	
75	खमरिया		-	8	7.00	7.00	6.00	20.00	-	10.00	
76	समनापुर	26	-	9	75.00	70.00	66.00	211.00	-	125.00	
77	मेहंवा		-	9	13.40	12.20	9.40	35.00	-	19.00	
78	धूरपुर	28	-	9	24.00	24.40	16.00	64.40	-	34.00	
79	उमरिया	26	-	10	42.50	40.50	23.00	106.00	-	64.00	
80	पिपरहा	27	-	10	16.50	15.50	12.50	44.50	-	22.00	
81	मोहद	30	-	10	15.00	15.40	14.00	44.40	-	15.00	
82	राती करार कला	22	-	11	17.00	18.00	15.00	50.00	-	28.00	
83	देवरी खुर्द	15	-	11	13.00	19.00	10.21	42.21	-	22.00	
84	राती करार खुर्द		-	11	12.00	15.00	13.00	40.00	-	24.00	
85	देवाकछार	12	-	11	23.60	45.00	16.00	84.60	-	?????	
86	बारहा	15	-	11	31.00	23.00	27.00	81.00	-	45.00	
87	केरपानी	28	-	25	7.70	6.30	7.00	21.00	-	12.00	
88	खिरिया		-	25	25.00	30.00	17.00	72.00	-	40.00	
89	बसौदा	13	-	25	6.00	7.00	6.00	19.00	-	11.00	
90	हर्दगाँव	17	-	25	17.00	18.00	11.00	46.00	-	20.00	
91	ग्वारी	17	-	25	16.00	13.00	9.00	38.00	-	21.00	
92	महलवाडा	36	-	20	6.00	6.50	5.50	18.00	-	10.60	
	योग . .				3689.85	3838.88	2430.08	9958.81		6165.70	

## तहसील—गाडरवारा

क्र.	ग्राम का नाम	क्षेत्र की कारखाने से दूरी	परिवहन का साधन	प.ह.न.	गन्ना फसल आच्छादित क्षेत्र			योग गन्ना क्षेत्र हेक्टेयर में	उत्पादन 50 टन प्रति हे.	पिराई हेतु उपलब्ध गन्ना हे. में वर्ष 2014-15 में	क्रय केन्द्र का नाम
					रोपा 14-15 में	जड़ी 13-14 में	मड़ी 12-13 में				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(9)	(10)
1	गोरास	14	ट्रक, ट्रेक्टर	73	24.50	25.50	11.00	61.00	-,-	36.00	
2	मडेसुर	11	-,-	73	65.60	99.40	51.00	216.00	-,-	130.00	
3	मोथेगाँव	14	-,-	73	15.50	18.50	11.00	45.00	-,-	27.00	
4	छवारा	15	-,-	73	15.00	17.00	11.40	43.40	-,-	24.40	
5	कामती	15	-,-	75	54.50	66.00	43.00	163.50	-,-	90.50	
6	कुंदुआखेडा	20	-,-	75	13.10	14.00	11.00	38.10	-,-	20.00	
7	गरहा	20	-,-	75	90.00	96.50	31.00	217.50	-,-	140.50	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(9)	(10)
8	निजोर	13	ट्रक, ट्रेक्टर	75	60.00	69.00	31.30	160.30	--,-	80.00	
9	अंजसरा	20	--,-	75	20.00	24.00	18.00	62.00	--,-	30.00	
10	कुम्हीडाबर	18	--,-	74	16.00	16.00	15.50	47.50	--,-	24.00	
11	झमरी	9	--,-	74	16.00	18.00	16.89	50.89	--,-	30.00	
12	कौडिया	6	--,-	74	18.00	22.00	11.00	51.00	--,-	26.00	
13	झामर	8	--,-	74	27.00	34.00	18.50	79.50	--,-	40.50	
14	भूतपिपरिया	5	--,-	74	36.40	34.00	17.00	87.40	--,-	60.00	
15	रमखिरिया	5	--,-	74	48.50	57.50	37.50	143.50	--,-	182.50	
16	सिमरिया	10	--,-	79	35.00	44.00	31.26	110.26	--,-	55.00	
17	खंचारी	10	--,-	79	74.08	83.50	56.65	214.23	--,-	100.00	
18	कपरगाँव	7	--,-	80	250.00	256.00	220.00	726.00	--,-	?????	
19	देगवाँ	12	--,-	80	45.00	41.00	25.78	111.78	--,-	60.10	
20	मेहगवाँ	15	--,-	80	25.10	25.00	15.10	65.20	--,-	30.00	
21	सर्रा	15	--,-	80	13.00	15.10	9.40	37.50	--,-	18.00	
22	बटेसरा	3	--,-	81	91.50	101.00	41.10	233.60	--,-	160.00	
23	कनवास	8	--,-	81	60.00	70.00	25.12	155.12	--,-	60.00	
24	कांकरकुईआ	20	--,-	81	4.00	5.10	4.00	13.10	--,-	6.00	
25	खमरिया	10	--,-	81	65.00	84.40	38.50	187.90	--,-	100.00	
26	चीकसा	10	--,-	81	45.00	50.00	35.00	130.00	--,-	65.00	
27	बंदेसुर	5	--,-	81	75.50	81.50	57.00	214.00	--,-	140.00	
28	शाहपुर	10	--,-	82	134.00	159.00	57.00	350.00	--,-	225.00	
29	बघौरा	14	--,-	82	45.00	55.53	24.47	125.00	--,-	60.00	
30	भिन्डवार	17	--,-	82	11.00	16.50	12.00	39.50	--,-	18.00	
31	रामखेडी	11	--,-	82	75.00	80.00	20.00	175.00	--,-	80.00	
32	सलगापुर	15	--,-	82	8.00	8.00	3.00	19.00	--,-	10.00	
33	इमलिया	17	--,-	83	34.60	35.40	18.00	88.00	--,-	50.00	
34	हथनापुर	21	--,-	83	8.00	8.00	6.00	22.00	--,-	12.00	
35	हिरदेपुर	15	--,-	83	25.00	20.00	10.00	55.00	--,-	30.00	
36	विजनपुर	22	--,-	84	45.00	42.50	23.00	110.50	--,-	70.00	
37	भूमियाघाट		--,-	84	6.00	6.00	2.00	14.00	--,-	7.00	
38	जेथारी	31	--,-	84	5.00	4.00	2.00	11.00	--,-	6.00	
39	धमेटा	20	--,-	84	45.00	45.00	25.10	115.10	--,-	85.00	
40	सलैया	21	--,-	84	5.00	5.00	4.00	14.00	--,-	7.00	
41	सिलेटी	32	--,-	85	4.00	4.00	3.00	11.00	--,-	5.00	
42	खड्डई	33	--,-	85	20.10	20.50	19.60	60.20	--,-	30.00	
43	निघौरा	33	--,-	85	7.50	8.00	4.60	20.10	--,-	10.00	
44	पिपरिया	34	--,-	85	10.00	13.50	11.50	35.00	--,-	19.00	
45	विलौनी	19	--,-	70	13.00	17.00	10.60	40.60	--,-	24.00	
46	मानखेडा	20	--,-	70	7.00	8.10	6.00	21.10	--,-	10.10	
47	रीछा	20	--,-	70	25.00	30.00	20.10	75.10	--,-	42.00	
48	समारिया	16	--,-	70	45.00	55.00	30.60	130.60	--,-	80.00	मेरेगांव
49	बेलखेडी	15	--,-	70	12.00	11.50	12.00	35.50	--,-	18.00	
50	इमझिरी	21	--,-	70	46.56	46.56	35.00	128.12	--,-	80.00	
51	छींतापुर	20	--,-	72	90.00	115.00	70.00	275.00	--,-	190.00	
52	खामघाट	20	--,-	72	12.00	12.00	11.00	35.00	--,-	20.00	मेरेगांव
53	लिंगा	19	--,-	72	13.00	13.00	12.00	38.00	--,-	19.00	
54	बरमान	16	--,-	72	6.00	6.50	5.50	18.00	--,-	10.00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(9)	(10)
55	कुसम्ही	21	—,—	68	42.00	46.00	22.80	110.80	—,—	60.00	
56	ढोडोकेसला	25	—,—	69	15.00	15.00	11.00	41.00	—,—	22.00	
57	बडियाघाट	22	—,—	69	55.00	45.00	35.00	135.00	—,—	70.00	मेरेगांव
58	उमरपानी	17	—,—	71	41.43	55.00	32.57	129.00	—,—	65.00	मेरेगांव
59	खुरसुरू	15	—,—	71	50.00	60.95	32.00	142.95	—,—	80.00	मेरेगांव
60	सिंगोटा	15	—,—	71	49.00	55.00	36.91	140.91	—,—	80.00	मेरेगांव
61	रायपानी	18	—,—	71	18.00	22.00	16.00	56.00	—,—	29.00	
62	बीतली	18	—,—	71	22.00	20.00	13.50	55.50	—,—	28.00	
63	बम्होरी	20	—,—	65	20.00	19.00	12.00	51.00	—,—	26.00	
64	बुधवारा	22	—,—	66	26.00	25.00	25.10	76.10	—,—	40.00	
65	बरांझ	20	—,—	75	27.00	23.00	11.00	61.00	—,—	30.00	पुरगवां
66	टुठी	15	—,—	76	65.00	90.00	65.00	220.00	—,—	165.00	पुरगवां
67	पुरगवां	16	—,—	76	85.00	106.26	44.00	235.26	—,—	80.00	पुरगवां
68	सीहोरा	18	—,—	76	32.00	33.00	20.00	85.00	—,—	45.00	
69	हरई	19	—,—	76	25.00	30.00	20.00	75.00	—,—	40.00	पुरगवां
70	दुधवारा	20	—,—	76	12.00	13.50	11.50	37.00	—,—	18.00	पुरगवां
71	खुलरी	21	—,—	67	37.00	33.00	32.00	102.00	—,—	75.00	पुरगवां
72	टेकापार	19	—,—	67	54.00	53.00	34.00	141.00	—,—	75.00	पुरगवां
73	मुड़िया	22	—,—	67	9.00	11.50	7.50	28.00	—,—	14.00	
74	कल्यानपुर	20	—,—	68	96.49	120.00	59.00	275.49	—,—	190.00	
75	बाम्हनवाडा	17	—,—	78	40.00	42.00	33.00	115.00	—,—	50.50	पुरगवां
76	इमलिया	15	—,—	78	35.00	41.00	34.00	110.00	—,—	66.00	
77	जमनिया	20	—,—	78	8.00	8.20	7.50	23.70	—,—	13.00	पुरगवां
78	मालहनवाडा	10	—,—	10	90.00	139.00	68.00	297.00	—,—	195.00	पुरगवां
79	नारगी	11	—,—	11	110.00	120.00	50.00	280.00	—,—	145.00	पुरगवां
80	पनारी	13	—,—	13	118.00	135.00	66.00	319.00	—,—	195.00	पुरगवां
81	बांसखेड़ा	12	—,—	14	30.00	25.00	20.00	75.00	—,—	38.00	पुरगवां
82	टिकटोली	20	—,—	20	60.72	65.00	56.00	181.72	—,—	90.00	
	योग . .				3333.68	3765.00	2227.45	9326.13		5452.10	

## तहसील—नरसिंहपुर

क्र.	ग्राम का नाम	क्षेत्र की कारखाने से दूरी	परिवहन का साधन	प.ह.न.	गन्ना फसल आच्छादित क्षेत्र			योग गन्ना क्षेत्र हेक्टेयर में	उत्पादन 50 टन प्रति हे.	पिराई हेतु उपलब्ध गन्ना हे. में वर्ष 2014-15 में	क्रय केन्द्र का नाम
					रोपा 14-15 में	जड़ी 13-14 में	मड़ी 12-13 में				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)	(8)	(9)	(10)
1	नयाखेड़ा	44	ट्रक, ट्रेक्टर	7	33.00	32.58	18.00	83.58	—,—	60.00	
2	बम्होरी	38	—,—	7	26.00	35.57	27.00	88.57	—,—	45.50	
3	सागोनी खुर्द	46	—,—	8	42.00	55.06	33.60	130.66	—,—	90.00	
4	सागोनी कला	36	—,—	8	20.00	30.00	22.00	72.00	—,—	37.00	
5	गरगटा	38	—,—	8	5.00	6.00	4.00	15.00	—,—	8.00	
6	तिदेनी	23	—,—	9	7.00	8.00	6.00	21.00	—,—	8.00	
7	नंदवारा	35	—,—	16	25.10	18.57	18.00	61.67	—,—	33.50	
8	नरसिंहपुर	20	—,—	17	45.00	65.50	50.00	160.50	—,—	98.50	
9	देवरी कलॉ	10	—,—	18	25.10	30.80	23.00	78.90	—,—	44.00	
10	सिमरिया	17	—,—	29	12.67	8.00	12.00	32.67	—,—	16.00	
11	कुकवारा	16	—,—	18	28.00	25.34	15.08	68.42	—,—	35.00	
12	डुडवारा	17	—,—		10.00	8.06	7.00	25.06	—,—	8.00	
13	दुराजपुर	24	—,—		8.00	7.86	6.00	21.86	—,—	8.00	
	योग . .				286.87	331.34	241.68	859.89		491.50	

क्रमांक गन्ना-एस-2-क्षे.आ.-कृषक-2015-16/33

भोपाल, दिनांक 7 जनवरी 2016

मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं मोहनलाल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश भोपाल गन्ना पेराई मौसम वर्ष 2015-16 हेतु कृषक सहकारी शक्कर कारखाना मर्या0, नारायणपुरा (राघौगढ), जिला-गुना (म0प्र0) के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अंतर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ :-

क्र.	जिला	क्रय केन्द्र	ग्रामों की संख्या	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	गुना	आवन	21	990.00
2	गुना	राघौगढ	15	150.00
3	गुना	रुठियाई	20	460.00
4	गुना	मधूसूदनगढ	24	305.60
5	गुना	बीनागंज	50	408.00
6	गुना	गुना	31	286.50
7	गुना	म्याना	10	37.00
8	गुना	झागर	13	35.00
9	गुना	बरखेडाहाट	7	40.00
10	गुना	रामपुर (आरौन)	15	80.00
11	अशोकनगर	अशोकनगर	14	86.00
12	अशोकनगर	सिकन्दरा	15	120.00
13	अशोकनगर	तारई	7	26.00
14	अशोकनगर	शाढ़ौरा	11	91.00
15	अशोकनगर	ईसागढ	21	119.50
16	अशोकनगर	सारसखेडी	12	73.50
17	अशोकनगर	अचलगढ	16	180.00
18	अशोकनगर	चन्देरी	12	79.50
19	अशोकनगर	बहादुरपुर	16	70.50
20	विदिशा	सिरोज	29	377.00
21	शिवपुरी	कोलारस	18	30.60
योग			377	4046.20

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अंतर्गत जो ग्राम सम्मिलित किये गये हैं, उनकी सूची संलग्न है। यह आदेश जब तक इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पेराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

मोहनलाल, गन्ना आयुक्त.

## कृषक सहकारी शक्कर कारखाना मर्या.

नारायण पुरा (राघौगढ) जिला-गुना (म.प्र.)

क्रय केन्द्रों की जिलेवार सूची वर्ष 2015-16

केन्द्र- आवन , जिला-गुना						
क्रमांक	ग्राम का नाम	कृषक संख्या	रोपा (हेक्टे. में)	जडी (हेक्टे. में)	कुल योग (हेक्टे. में)	दूरी
1	रामपुरा ✓	8	1.000	0.000	1.000	8
2	गावरी ✓	45	25.000	28.000	53.000	7
3	पीपल्या	40	30.000	10.000	40.000	10
4	दीतलवाडा	135	150.000	103.000	253.000	11
5	मोहम्मद पुर	12	2.000	12.000	14.000	7
6	सुन्दर खेडी	40	40.000	34.000	74.000	5
7	प्रेमगढ ✓	70	30.000	56.000	86.000	7
8	पारकना ✓	100	140.000	89.000	229.000	8
9	बैराखेडी ✓	80	50.000	49.000	99.000	4
10	बरखेडी महाराजा ✓	25	5.000	10.000	15.000	5
11	आवन ✓	27	15.000	20.000	35.000	7
12	गोविन्द पुरा ✓	25	10.000	20.000	30.000	5
13	मुहासा ✓	15	5.000	4.000	9.000	6
14	फादलपुर	30	15.000	0.000	15.000	10
15	सागर (बरखेडा) ✓	15	3.000	4.000	7.000	10
16	बर्या ✓	15	5.000	6.000	11.000	3
17	सूजापुरा ✓	10	5.000	0.000	5.000	9
18	सीताखेडी ✓	5	5.000	0.000	5.000	7
19	अचकलपुर ✓	10	3.000	3.000	6.000	10
20	सेमरा ✓	3	1.000	0.000	1.000	8
21	सौरामपुरा	3	2.000	0.000	2.000	5
	योग	713	542.00	448.00	990.00	

केन्द्र- राघौगढ , जिला-गुना						
क्र.	ग्राम का नाम	कृषक संख्या	रोपा (हेक्टे. में)	जडी (हेक्टे. में)	कुल योग (हेक्टे. में)	दूरी
1	बसंतपुरा	5	3.000	3.000	6.000	22
2	सांवत खेडी ✓	20	10.000	15.000	25.000	14
3	मेरखेडी ✓	20	9.000	22.000	31.000	10
4	राजपुरा ✓	13	5.000	13.000	18.000	10
5	रामनगर ✓	10	2.000	4.000	6.000	15
6	बालाखेडा ✓	2	1.000	2.000	3.000	12
7	मोती पुरा ✓	15	10.000	6.000	16.000	18
8	फेकरा ✓	2	0.500	0.000	0.500	22
9	सुआ खेडी ✓	10	5.000	5.000	10.000	22
10	राघौगढ ✓	2	1.000	1.000	2.000	20
11	कडैया ✓	1	0.500	0.000	0.500	30
12	पीलाघाटा ✓	3	3.000	9.000	12.000	20

13	बुरैया खेडा ✓	5	2.000	3.000	5.000	20
14	पीपलखेडी ✓	6	5.000	5.000	10.000	22
15	चैनपुरा ✓	5	3.000	2.000	5.000	21
	योग	119	60.000	90.000	150.000	

## केन्द्र रूठियाई , जिला-गुना ✓

क्र.	ग्राम का नाम	कृषक संख्या	रोपा (हेक्टे. में)	जडी (हेक्टे. में)	कुल योग (हेक्टे. में)	दूरी
1	दावत पुरा ✓	19	12.000	12.000	24.000	30
2	भुलाय ✓	180	75.000	185.000	260.000	38
3	बृसंगपुरा ✓	2	1.000	1.000	2.000	22
4	पाइरखेडी	7	7.500	0.000	7.500	20
5	रूठियाई ✓	1	2.000	1.000	3.000	22
6	डोंगर ✓	3	0.000	3.000	3.000	20
7	विजय पुर ✓	14	2.000	8.000	10.000	21
8	कोटरा ✓	18	4.000	13.000	17.000	35
9	बालाभेट ✓	15	6.000	16.000	22.000	35
10	धरनावदा ✓	3	3.000	1.000	4.000	35
11	भैरो पुरा ✓	7	1.000	5.000	6.000	40
12	सनोतिया ✓	6	5.000	0.000	5.000	35
13	सरवर पुर ✓	10	4.000	6.000	10.000	40
14	बमूरिया ✓	7	4.000	4.000	8.000	40
15	उदय पुरी ✓	50	8.000	32.000	40.000	35
16	खिरिया	1	0.000	1.000	1.000	35
17	तिन्नसिया	1	1.500	0.500	2.000	22
18	ककवासा ✓	25	12.000	13.000	25.000	35
19	शेखपुर ✓	2	3.000	1.000	4.000	24
20	सकतपुर ✓	6	3.000	4.000	7.000	30
	योग	377	154.000	306.500	460.500	

## केन्द्र- मधुसूदनगढ , जिला-गुना ✓

क्र.	ग्राम का नाम	कृषक संख्या	रोपा (हेक्टे. में)	जडी (हेक्टे. में)	कुल योग (हेक्टे. में)	दूरी
1	गणेश पुरा ✓	10	20.000	20.000	40.000	22
2	पीपल खेडी ✓	10	9.000	6.000	15.000	16
3	धीना खेडी ✓	5	2.000	3.000	5.000	34
4	बरसंत ✓	1	0.000	0.600	0.600	20
5	जामनेर ✓	10	2.000	5.600	7.600	25
6	दौलत पुरा ✓	7	2.000	5.000	7.000	23
7	शंकर पुरा ✓	7	2.000	4.000	6.000	40
8	परेवा ✓	25	20.000	25.000	45.000	23
9	ढोडरा ✓	20	10.000	20.000	30.000	22
10	गंगापुरा ✓	2	5.000	2.000	7.000	30
11	भगवानपुरा ✓	1	0.000	1.000	1.000	50
12	सालोटा ✓	50	40.000	40.000	80.000	18
13	कोलारस ✓	1	1.000	0.800	1.800	50
14	मधुसूदन गढ ✓	3	0.000	2.000	2.000	40

15	नलखेडा ✓	1	0.000	0.600	0.600	50
16	हरिपुरा ✓	1	0.000	2.000	2.000	25
17	चैनपुरा ✓	3	2.000	3.000	5.000	25
18	गोचाआमल्या ✓	6	4.000	3.000	7.000	20
19	शीतलपुर ✓	1	0.000	2.000	2.000	25
20	जांगरू ✓	1	10.000	8.000	18.000	35
21	बडाआमल्या ✓	12	2.000	2.000	4.000	18
22	हताईखेडा ✓	1	1.000	1.000	2.000	65
23	चौडाखेडी ✓	10	5.000	10.000	15.000	20
24	नीमखेडी	2	2.000	0.000	2.000	25
	योग	190	139.000	166.600	305.600	

केन्द्र- बीनागंज, जिला-गुना ✓

क.	ग्राम का नाम	कृषक संख्या	रोपा (हेक्टे. में)	जडी (हेक्टे. में)	कुल योग (हेक्टे. में)	दूरी
1	नीमखेडी ✓	20	20.000	13.000	33.000	5
2	साकोन्या ✓	11	30.000	8.000	38.000	25
3	नारायणपुरा ✓	10	25.000	10.000	35.000	2
4	पार्वतीचौकी ✓	15	15.000	8.000	23.000	5
5	गुर्जर खेडा ✓	5	3.000	2.000	5.000	8
6	कोन्या कलां	2	1.000	1.000	2.000	35
7	तेलीगांव	2	1.000	1.000	2.000	40
8	बनेट ✓	3	1.000	2.000	3.000	25
9	खेजरा कलां	5	3.000	1.000	4.000	22
10	नारायणपुरा बीनागंज	5	1.000	1.000	2.000	41
11	खटकिया ✓	33	20.000	10.000	30.000	8
12	ऊपरी ✓	31	25.000	7.000	32.000	14
13	चक ऊपरी ✓	59	30.000	3.000	33.000	14
14	केशोपुरा ✓	6	3.000	1.000	4.000	30
15	काना खेडी ✓	5	20.000	20.000	40.000	18
16	सरांय ✓	11	10.000	6.000	16.000	6
17	मूड़ा ✓	1	2.000	1.000	3.000	10
18	कांद्याखंडी	2	2.000	1.000	3.000	30
19	मृगवास ✓	5	1.000	1.000	2.000	38
20	मोडा खेडा ✓	2	1.000	1.000	2.000	37
21	सांकाकला	10	3.000	2.000	5.000	21
22	सीगनपुर	2	1.000	1.000	2.000	23
23	गंगापुरा(ऊपरी) ✓	3	3.000	1.000	4.000	15
24	कैंकड्या खुर्द	8	5.000	1.000	6.000	25
25	कैंकड्या कलां	3	1.000	1.000	2.000	24
26	पीपलहेडा	1	1.000	1.000	2.000	45
27	मुहांसा खुर्द	2	1.000	1.000	2.000	20
28	बिरयाई	3	2.000	0.000	2.000	30
29	बीजनीपुरा	1	1.000	0.000	1.000	30
30	घाटाखेडी	3	3.000	0.000	3.000	40
31	अल्ला खेडी	1	2.000	0.000	2.000	38
32	निजामपुर	2	3.000	1.000	4.000	35
33	रोड़ा खेडी	2	0.000	0.500	0.500	26



34	ककरुआ ✓	1	0.000	0.500	0.500	42
35	जामोल्या	1	0.000	0.500	0.500	45
36	खुवनी	1	0.000	1.000	1.000	55
37	इर्याखेड़ी	1	0.000	0.500	0.500	35
38	रामपुरा	5	3.000	1.000	4.000	18
39	मानपुरिया ✓	5	0.000	9.000	9.000	15
40	बरखेड़ा खुर्द ✓	3	3.000	6.000	9.000	12
41	तुलसी खेड़ी ✓	7	3.000	3.000	6.000	18
42	चौदपुरा	3	3.000	0.000	3.000	20
43	घोरलाखेड़ी ✓	3	0.000	3.000	3.000	25
44	लखनवास ✓	3	2.000	0.000	2.000	20
45	कुदारा	1	1.000	0.000	1.000	30
46	रमड़ी ✓	7	10.000	0.000	10.000	35
47	अजगरी	1	1.000	0.000	1.000	20
48	रामटेरी	3	1.000	0.000	1.000	22
49	पीपल्या सींगनपुर ✓	1	1.000	0.000	1.000	32
50	देहरी ✓	5	5.000	3.000	8.000	35
	योग	325	273.000	135.000	408.000	

केन्द्र- गुना, जिला- गुना ✓

क.	ग्राम का नाम	कृषक संख्या	रोपा (हेक्टे. में)	जडी (हेक्टे. में)	कुल योग (हेक्टे. में)	दूरी
1	सिंगवासा ✓	2	1.000	1.000	2.000	45
2	मावन ✓	1	0.500	0.300	0.800	52
3	पिपरीदा कला ✓	1	0.500	1.600	2.100	53
4	पीतम पुर ✓	7	5.000	21.000	26.000	56
5	देवरीमार ✓	1	0.500	0.100	0.600	65
6	भदौरा ✓	1	0.500	0.500	1.000	66
7	कुशमौदा ✓	1	0.000	0.600	0.600	41
8	नयागाँव ✓	1	0.200	0.200	0.400	52
9	बरोदिया खुर्द ✓	63	25.500	38.000	63.500	53
10	ढोलबाज ✓	4	0.000	1.100	1.100	51
11	हनुमतपुरा ✓	4	1.000	1.000	2.000	58
12	पाटई ✓	2	3.000	3.000	6.000	55
13	तिल्ली खेड़ा ✓	17	6.000	5.000	11.000	64
14	कमलापुर सरखण्डी ✓	30	8.000	75.000	83.000	60
15	कोलुआमार ✓	3	0.600	0.600	1.200	64
16	भिडरा ✓	13	4.000	3.000	7.000	65
17	मुहाल पुर ✓	12	1.500	2.500	4.000	47
18	विनायक खेड़ी ✓	1	0.200	0.700	0.900	47
19	नोहर ✓	1	0.000	0.100	0.100	60
20	छीपोनचक्क ✓	3	1.000	1.000	2.000	58
21	सरखो ✓	10	15.000	5.000	20.000	62
22	हरीपुर	1	0.500	1.500	2.000	62
23	बरखेड़ा गिर्द ✓	15	15.000	6.000	21.000	58
24	रमपुरा ✓	9	1.500	3.200	4.700	62
25	परसौदा ✓	32	6.000	10.000	16.000	63

26	सिरसी कला ✓	1	1.500	1.600	3.100	61
27	गेहूँखेडा गिर्द ✓	1	0.000	0.200	0.200	56
28	खिरिया	1	0.000	0.300	0.300	65
29	धीरखेडा ✓	1	0.000	0.200	0.200	60
30	पगारा ✓	1	0.000	0.400	0.400	52
31	सिरसी खुर्द ✓	5	3.000	0.300	3.300	62
	योग	245	101.500	185.000	286.500	

केन्द्र- म्याना , जिला-गुना ✓

क.	ग्राम का नाम	कृषक संख्या	रोपा (हेक्टे. में)	जडी (हेक्टे. में)	कुल योग (हेक्टे. में)	दूरी
1	बरखेडा टेंकनी ✓	1	1.000	5.500	6.500	65
2	इंगासरा ✓	5	1.000	4.000	5.000	69
3	अजलेश्वर ✓	2	1.000	2.000	3.000	104
4	सगोरिया ✓	4	0.500	0.900	1.400	71
5	बैघाई ✓	6	3.000	6.400	9.400	100
6	नईसंराय ✓	2	0.500	0.500	1.000	100
7	चोरोल ✓	3	2.000	0.200	2.200	80
8	ईमझरा ✓	2	2.000	4.000	6.000	95
9	गोपालपुरा ✓	1	0.500	1.000	1.500	100
10	सीहोर ✓	4	0.500	0.500	1.000	75
	योग	30	12.000	25.000	37.000	

केन्द्र- झागर , जिला-गुना ✓

क.	ग्राम का नाम	कृषक संख्या	रोपा (हेक्टे. में)	जडी (हेक्टे. में)	कुल योग (हेक्टे. में)	दूरी
1	बैरखेडी ✓	3	0.400	2.000	2.400	59
2	शेख पुर ✓	2	0.000	2.100	2.100	63
3	धानन खेडी ✓	1	0.000	1.300	1.300	67
4	पीरु खेडी ✓	3	0.200	0.900	1.100	74
5	सूजाखेडी ✓	1	0.000	2.500	2.500	65
6	आंतरसूना ✓	1	2.000	2.000	4.000	63
7	भूराखेडी ✓	3	0.000	1.200	1.200	70
8	मगरोडा ✓	4	0.600	2.000	2.600	55
9	अम्बाराम चक ✓	4	2.700	5.800	8.500	50
10	बनेरु ✓	2	1.200	3.500	4.700	65
11	चक भौरा ✓	2	2.300	1.000	3.300	62
12	जगेश्वरी ✓	1	0.000	0.700	0.700	55
13	मोड़की	5	0.600	0.000	0.600	70
	योग	32	10.000	25.000	35.000	

केन्द्र- बरखेडाहाट , जिला-गुना ✓

क.	ग्राम का नाम	कृषक संख्या	रोपा (हेक्टे. में)	जडी (हेक्टे. में)	कुल योग (हेक्टे. में)	दूरी
1	भादौर ✓	1	0.200	0.400	0.600	64
2	बरखेडाहाट ✓	2	0.100	0.400	0.500	55
3	सेमरा खुर्द ✓	7	0.500	1.200	1.700	65
4	आरोन ✓	10	10.000	12.000	22.000	42

5	सिरसी ✓	5	3.000	8.000	11.000	52
6	पाली ✓	1	1.000	2.000	3.000	55
7	बमूरिया ✓	1	0.200	1.000	1.200	52
	योग	27	15.000	25.000	40.000	

केंद्र- रामपुर, जिला-मुना

क.	ग्राम का नाम	कृषक संख्या	रोपा (हेक्टे. में)	जडी (हेक्टे. में)	कुल योग (हेक्टे. में)	दूरी
1	हिनोतिया ✓	12	2.000	5.000	7.000	66
2	रहीमपुर ✓	8	1.000	5.000	6.000	60
3	बंदीपुर ✓	2	0.500	1.000	1.500	65
4	मोहन खेडी ✓	2	0.200	0.500	0.700	70
5	करई खेडा ✓	7	2.000	6.000	8.000	61
6	रायपुर ✓	3	0.000	0.500	0.500	61
7	बकान ✓	8	1.000	3.000	4.000	54
8	परासरी ✓	1	0.500	2.000	2.500	57
9	हुसैनपुर ✓	30	21.000	22.000	43.000	81
10	कुन्दौली ✓	3	0.500	1.000	1.500	102
11	गोहूँ खेडा ✓	1	0.000	0.200	0.200	70
12	शहबाजपुर ✓	1	0.500	2.000	2.500	75
13	मातामूडरा ✓	3	0.500	0.600	1.100	62
14	देहरीकला ✓	1	0.200	1.000	1.200	55
15	आंखखेडा ✓	1	0.100	0.200	0.300	60
	योग	83	30.000	50.000	80.000	

केंद्र- अशोकनगर, जिला-अशोकनगर ✓

क.	ग्राम का नाम	कृषक संख्या	रोपा (हेक्टे. में)	जडी (हेक्टे. में)	कुल योग (हेक्टे. में)	दूरी
1	उमरिया माफी ✓	1	0.000	2.000	2.000	101
2	खडीचरा ✓	9	5.600	21.000	26.600	101
3	पिपनावदा ✓	4	0.000	2.200	2.200	96
4	बामौरी भीमा ✓	5	0.000	8.800	8.800	98
5	बरखेडा लाल ✓	10	0.000	11.600	11.600	102
6	रांवर ✓	1	0.000	1.600	1.600	95
7	सलमाई ✓	3	0.000	2.800	2.800	101
8	हिन्नौदा ✓	1	0.000	2.000	2.000	87
9	बरखेडी तूमैन ✓	1	0.000	2.000	2.000	102
10	नानकपुर ✓	1	1.600	1.200	2.800	106
11	सागर ✓	4	0.200	14.600	14.800	100
12	सिजावट ✓	1	0.000	2.200	2.200	95
13	पंवारगढ़ ✓	3	0.000	2.800	2.800	100
14	बरखेडी हसन	2	0.600	3.200	3.800	90
	योग	46	8.000	78.000	86.000	

क.	ग्राम का नाम	कृषक संख्या	रोपा (हेक्टे. में)	जडी (हेक्टे. में)	कुल योग (हेक्टे. में)	दूरी
1	अमाही ✓	4	0.600	2.000	2.600	94
2	आमखेडा ✓	2	0.000	3.200	3.200	101
3	घरोई ✓	6	1.000	14.600	15.600	93
4	खजूरियां कला ✓	4	1.000	2.400	3.400	103
5	जलालपुर ✓	12	1.000	13.700	14.700	93
6	मोहरीराय ✓	4	1.200	2.600	3.800	89
7	नगेश्री ✓	14	2.000	10.000	12.000	92
8	शहबाजपुर ✓	3	0.000	2.200	2.200	101
9	सिकन्दरा ✓	10	1.000	15.800	16.800	92
10	तूमैन ✓	10	2.200	18.400	20.600	96
11	जुग्या	9	0.000	5.100	5.100	101
12	भेटुआ ✓	2	0.000	1.500	1.500	104
13	सुमेर ✓	18	0.000	13.900	13.900	101
14	मढी तूमैन ✓	5	0.000	2.500	2.500	94
15	करैया बुहू ✓	4	0.000	2.100	2.100	101
	योग	107	10.000	110.000	120.000	

केन्द्र- तारई, जिला-अशोकनगर ✓

क.	ग्राम का नाम	कृषक संख्या	रोपा (हेक्टे. में)	जडी (हेक्टे. में)	कुल योग (हेक्टे. में)	दूरी
1	कुकरेठ ✓	1	0.000	3.800	3.800	111
2	डोंगर ✓	1	0.000	1.600	1.600	110
3	तारई	2	0.000	2.800	2.800	103
4	महोली ✓	1	0.000	2.000	2.000	112
5	भरिया खेड़ी ✓	1	0.000	0.600	0.600	102
6	नीमखेड़ा ✓	2	5.000	10.000	15.000	120
7	सलोना	1	0.000	0.200	0.200	110
	योग	9	5.000	21.000	26.000	

केन्द्र- शादौरा, जिला-अशोकनगर ✓

क.	ग्राम का नाम	कृषक संख्या	रोपा (हेक्टे. में)	जडी (हेक्टे. में)	कुल योग (हेक्टे. में)	दूरी
1	भौंसले गाँव ✓	13	9.500	25.500	35.000	69
2	सेजी ✓	9	7.600	4.700	12.300	67
3	पीली घटा ✓	5	0.000	9.600	9.600	66
4	सिलावन ✓	2	1.000	4.700	5.700	74
5	बगुल्या ✓	5	0.000	3.100	3.100	80
6	चारौदा ✓	4	1.000	9.500	10.500	70
7	सेमरी लोहवाड ✓	2	0.000	3.400	3.400	70
8	चकचिरोली ✓	2	0.000	0.800	0.800	82
9	बल्दाई ✓	2	0.000	5.500	5.500	73
10	फरदाई ✓	2	0.500	4.200	4.700	78
11	मढी नामदार	1	0.400	0.000	0.400	75
	योग	47	20.000	71.000	91.000	

ईसागढ़, जिला-अशोकनगर ✓						
क्र.	ग्राम का नाम	कृषक संख्या	रोपा (हेक्टे. में)	जडी (हेक्टे. में)	कुल योग (हेक्टे. में)	दूरी
1	जमडेरा ✓	1	4.000	18.600	22.600	130
2	ईसागढ़ ✓	1	1.000	0.600	1.600	120
3	महुअन ✓	3	0.000	3.400	3.400	129
4	ढाकोनी ✓	4	2.000	5.000	7.000	116
5	नरसू खेडी ✓	3	0.000	7.200	7.200	115
6	कुलवार ✓	2	1.000	1.000	2.000	118
7	कबीरी ✓	3	0.000	8.000	8.000	118
8	इमझेरा ✓	1	0.000	0.600	0.600	126
9	शंकरपुर ✓	1	0.000	0.800	0.800	120
10	श्यामा टोरी ✓	2	1.500	0.800	2.300	119
11	करौदी ✓	18	0.000	25.000	25.000	120
12	शाहपुर ✓	2	0.000	5.000	5.000	120
13	लहदपुर ✓	2	0.000	2.000	2.000	121
14	शीतलपुर ✓	9	0.000	12.000	12.000	121
15	ध्यानपुर ✓	1	0.000	0.400	0.400	122
16	भियाखेडी ✓	3	0.000	10.200	10.200	133
17	पाठखेडा ✓	1	0.000	1.000	1.000	110
18	हैदर ✓	1	0.000	0.600	0.600	118
19	बायबेनी ✓	1	0.000	1.000	1.000	130
20	भौरा ✓	4	0.000	5.000	5.000	138
21	बानौरा ✓	2	0.000	1.800	1.800	135
	योग	65	9.500	110.000	119.500	

केन्द्र- सारसखेडी, जिला-अशोकनगर ✓						
क्र.	ग्राम का नाम	कृषक संख्या	रोपा (हेक्टे. में)	जडी (हेक्टे. में)	कुल योग (हेक्टे. में)	दूरी
1	रुहाना ✓	1	0.000	1.000	1.000	105
2	सेमर खेडी ✓	6	2.000	12.500	14.500	106
3	राजतला ✓	3	0.000	9.000	9.000	102
4	जनोदा ✓	1	0.000	1.000	1.000	106
5	महाना ✓	10	18.000	1.000	19.000	102
6	पिपरेसरा ✓	1	0.000	1.000	1.000	115
7	चन्दन बेहटा ✓	4	2.000	7.000	9.000	102
8	कनेरा ✓	2	0.000	2.000	2.000	106
9	सान्दोह ✓	2	1.000	2.000	3.000	117
10	फुटेरा ✓	3	2.000	8.000	10.000	108
11	कुरायला ✓	1	0.000	2.000	2.000	125
12	गोविन्दपुर ✓	1	0.000	2.000	2.000	130
	योग	35.000	25.000	48.500	73.500	

केन्द्र- अचलगढ़, जिला-अशोकनगर ✓						
क्र.	ग्राम का नाम	कृषक संख्या	रोपा (हेक्टे. में)	जडी (हेक्टे. में)	कुल योग (हेक्टे. में)	दूरी
1	अचलगढ़ ✓	48	14.600	80.000	94.600	128
2	देवपुर ✓	1	0.000	1.200	1.200	135

3	सिंगारदा ✓	3	2.000	5.600	7.600	130
4	कालपीचक ✓	2	0.000	1.400	1.400	130
5	हंसनगर ✓	10	2.000	14.600	16.600	132
6	जनकपुर खिरिया ✓	1	0.000	0.400	0.400	136
7	ढिमचौली ✓	3	0.800	4.000	4.800	139
8	पारकना ✓	1	0.000	1.000	1.000	142
9	सहराई ✓	5	2.000	8.600	10.600	134
10	पठारी ✓	5	1.000	5.400	6.400	142
11	कारातला ✓	1	1.000	2.000	3.000	138
12	मूडरी ✓	3	0.000	3.000	3.000	124
13	केनवारा ✓	2	5.000	9.400	14.400	128
14	खोरीबरी ✓	1	0.000	6.000	6.000	123
15	चिरोली ✓	1	1.600	4.600	6.200	145
16	पिपरई ✓	1	0.000	2.800	2.800	120
	योग	88	30.000	150.000	180.000	

केन्द्र- चन्देरी, जिला-अशोकनगर ✓

क्र.	ग्राम का नाम	कृषक संख्या	रोपा (हेक्टे. में)	जडी (हेक्टे. में)	कुल योग (हेक्टे. में)	दूरी
1	खलीलपुर ✓	2	0.000	1.300	1.300	135
2	मीलखेडा ✓	3	0.000	4.600	4.600	161
3	कुरवासा ✓	2	0.000	3.400	3.400	137
4	नावनी ✓	16	15.500	37.600	53.100	155
5	नयाखेडा ✓	6	2.000	4.600	6.600	145
6	जारसल चक्क ✓	9	0.000	4.300	4.300	153
7	गोराकला ✓	1	0.000	1.000	1.000	160
8	गोरा सहराई ✓	1	0.000	0.300	0.300	150
9	कुअंरपुर ✓	3	0.200	1.000	1.200	160
10	चौरारी	1	0.000	0.500	0.500	155
11	संगमपुर ✓	6	0.200	2.400	2.600	152
12	जमाखेडी ✓	1	0.600	0.000	0.600	155
	योग	51	18.500	61.000	79.500	

केन्द्र- बहादुरपुर, जिला-अशोकनगर ✓

क्र.	ग्राम का नाम	कृषक संख्या	रोपा (हेक्टे. में)	जडी (हेक्टे. में)	कुल योग (हेक्टे. में)	दूरी
1	कुम्हरा ✓	1	1.000	2.000	3.000	135
2	बरी ✓	5	4.000	15.000	19.000	135
3	रमपुरा ✓	10	2.000	14.000	16.000	155
4	हाजूखेडी ✓	1	1.500	5.000	6.500	130
5	गीलारोपा ✓	2	0.000	2.000	2.000	125
6	बगवा ✓	1	0.000	4.000	4.000	138
7	मूडरा खाना ✓	2	0.000	3.100	3.100	105
8	बिजलीपुर ✓	1	0.000	1.000	1.000	110
9	पिपरिया ✓	1	0.000	6.000	6.000	134
10	ढुडेर ✓	1	0.000	1.400	1.400	101
11	बमौरी शाला ✓	2	0.000	3.000	3.000	175
12	बाघूखेडा ✓	1	0.000	1.300	1.300	154

13	इकोदिया ✓	1	0.000	0.800	0.800	133
14	बरखेड़ा ✓	1	0.000	1.000	1.000	140
15	पिपलखेड़ा ✓	1	0.000	1.000	1.000	135
16	थिंगली ✓	1	0.000	1.400	1.400	138
	योग	32	8.500	62.000	70.500	

## केन्द्र- सिरोंज, जिला-विदिशा ✓

क.	ग्राम का नाम	कृषक संख्या	रोपा (हेक्टे. में)	जडी (हेक्टे. में)	कुल योग (हेक्टे. में)	दूरी
1	नेवली ✓	5	2.000	2.000	4.000	63
2	लटेरी ✓	3	1.000	2.000	3.000	70
3	पमारिया	5	5.000	7.000	12.000	81
4	मोहब्बतपुर ✓	6	6.000	9.000	15.000	65
5	शहरखेड़ा ✓	3	4.000	6.000	10.000	127
6	मुरारिया ✓	4	4.000	6.000	10.000	115
7	शहरखेड़ा ✓	3	4.000	6.000	10.000	80
8	सौजना ✓	6	6.000	8.000	14.000	90
9	ढिमरौली	6	7.000	8.000	15.000	81
10	टोंकरा ✓	2	4.000	6.000	10.000	73
11	पचमढ़ी ✓	4	4.000	5.000	9.000	75
12	मुर्वास ✓	5	5.000	7.000	12.000	85
13	इस्लाम नगर ✓	5	5.000	8.000	13.000	58
14	रतनगढ ✓	8	10.000	15.000	25.000	114
15	बरखेड़ा घूस ✓	9	10.000	15.000	25.000	75
16	धरगा ✓	4	5.000	7.000	12.000	71
17	सगडा ✓	5	5.000	8.000	13.000	74
18	आमखेड़ा ✓	9	10.000	14.000	24.000	101
19	बलरामपुर ✓	7	7.000	8.000	15.000	87
20	चंदपुरा ✓	5	5.000	7.000	12.000	78
21	जटपुरा ✓	4	4.000	6.000	10.000	125
22	जमनियार्ई ✓	3	3.000	3.000	6.000	150
23	मोहनपुरा ✓	2	2.000	3.000	5.000	145
24	डगरवाडा ✓	6	4.000	6.000	10.000	117
25	बर्धा ✓	8	6.000	9.000	15.000	125
26	पाली ✓	9	10.000	10.000	20.000	157
27	बमौरी ✓	2	5.000	8.000	13.000	128
28	सुगनाखेडी ✓	8	10.000	15.000	25.000	90
29	बांसखेडी ✓	3	4.000	6.000	10.000	130
	योग	149	157.000	220.000	377.000	

## केन्द्र-कोलारस(कोलारस एवं बदरवास तह.), जिला-शिवपुरी ✓

क.	ग्राम का नाम	कृषक संख्या	रोपा (हेक्टे. में)	जडी (हेक्टे. में)	कुल योग (हेक्टे. में)	दूरी
1	हरिपुर ✓	3	1.000	1.000	2.000	142
2	केलदार ✓	3	0.300	1.000	1.300	117
3	झाडेल ✓	2	1.000	1.200	2.200	95
4	पिपरौदा ✓	2	0.200	0.500	0.700	187
5	रामगढ ✓	1	0.000	1.000	1.000	126

6	पारागढ़ ✓	4	5.000	10.000	15.000	146
7	सिगरौदा ✓	1	0.000	0.400	0.400	167
8	आकुर्सी ✓	1	0.200	0.200	0.400	160
9	पायगा ✓	10	0.500	1.000	1.500	147
10	बृहथाना ✓	1	0.000	0.200	0.200	156
11	पडौरा ✓	1	0.000	0.200	0.200	115
12	रञ्जौद ✓	3	1.000	1.700	2.700	126
13	खरीला ✓	2	0.400	1.000	1.400	144
14	डहरवाड़ा ✓	1	0.100	0.400	0.500	130
15	गुरुकंदवाया ✓	2	0.100	0.200	0.300	135
16	इन्दार ✓	1	0.100	0.200	0.300	132
17	बीजरीचक्क ✓	1	0.000	0.200	0.200	137
18	मथना ✓	1	0.100	0.200	0.300	140
	योग	40	10.000	20.600	30.600	

मोहनलाल, गन्ना आयुक्त.

**राज्य शासन के आदेश**  
नवीन एव नवकरणीय ऊर्जा विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2016

क्रमांक एफ-2-11-2010-साठ.—राज्य शासन एतद्वारा मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लि. के मेमोरेन्डम आफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के उपबंध 72 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राजेन्द्र शुक्ल, माननीय मंत्री, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के स्थान पर श्री बृजेन्द्र सिंह सिसोदिया, को मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लि. के संचालक मण्डल में संचालक नियुक्त करते हुये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के उपबंध 71 के प्रावधानों के अंतर्गत आगामी दो वर्ष तक के लिए मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त करता है:—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कल्पना जैन, अवर सचिव.

**खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग**  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2016

क्रमांक एफ-3-1-2016-29-2.—(1) डॉ. मनोहर अगनानी, आईएएस, आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश को दिनांक 17 जनवरी 2016 से 24 जनवरी 2016 तक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण के संबंध में GIZ की ओर से ब्राजील Exposure Visit पर रहेंगे.

2. डॉ. मनोहर अगनानी की उक्त भ्रमण अवधि में उनका प्रभार श्री फैज अहमद किदवई, आईएएस, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन को अपने वर्तमान कर्तव्य के साथ-साथ अस्थायी रूप से दिनांक 16 जनवरी 2016 से भ्रमण से लौटने तक के लिये सौंपा जाता है.

3. डॉ. मनोहर अगनानी, आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मध्यप्रदेश के कार्यभार ग्रहण करने पर श्री फैज अहमद किदवई, आईएएस, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ज्ञ  
बी. के. चन्देल, उप सचिव.



## राज्य शासन के आदेश

### राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 28 दिसम्बर 2015

प्र. क्र. 048-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पन्ना	इटवांखास	निजी भूमि रकबा 28.486 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 57.138 है. <u>कुल रकबा : 85.624 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	इटवांखास तालाब योजना अन्तर्गत डूब क्षेत्र एवं बेस्ट विवर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 049-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पन्ना	इटवांकला	निजी भूमि रकबा 28.340 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 4.053 है. <u>कुल रकबा : 32.393 है.</u>	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	बरबीरा तालाब योजना अंतर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 050-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पन्ना	बराछ	निजी भूमि रकबा 27.950 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.513 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	बरबीरा तालाब योजना अन्तर्गत बांध एवं नगर निर्माण कार्य (छूटे हुये रकबे) हेतु.
<u>कुल रकबा : 28.463 है.</u>					

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैहर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैहर, दिनांक 2 जनवरी 2016

क्र. 12-अ-82-वर्ष 2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) तक में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 जून सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 एवं 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	बैहर	बिरवा, प.ह.न. 20	निजी भूमि 23.839 हेक्टेयर शासकीय भूमि 1.015 हेक्टेयर	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, भवन/सड़क उप संभाग, बैहर, जिला बालाघाट.	बिरवा हवाई पट्टी की लम्बाई/विस्तार में वृद्धि.
<u>कुल : 24.854 हेक्टेयर</u>					

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैहर/भू-अर्जन अधिकारी, बैहर, जिला बालाघाट के न्यायालय में देखा जा सकता है एवं अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग भवन/सड़क, उप संभाग, बैहर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
हर्ष दीक्षित, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन  
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 4 जनवरी 2016

पत्र क्र. 15-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	खटखरी	2.386	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.)	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना के अन्तर्गत माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 17-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	अंतरी	1.885	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.)	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना के अन्तर्गत माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 19-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	गोंदकला	4.850	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना के अन्तर्गत माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 21-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	मझियारी	5.995	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना के अन्तर्गत माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 23-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

## अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	बिलरा	2.555	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना के अन्तर्गत माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 27-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :—

## अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	छदहना	12.000	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना के अन्तर्गत माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 29-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि त्योंथर बहाव सिंचाई योजना की मुख्य नहर माईनर/सबमाईनर का निर्माण पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	घोरहा	3.895	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	त्योंथर बहाव सिंचाई योजना के अंतर्गत माईनर/सबमाईनर नहर निर्माण भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

पत्र क्र. 39-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ. चूंकि उक्त माईनर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	जवा	पैपखार कोठार	3.040	कार्यपालन यंत्री, त्योंथर नहर संभाग, जल संसाधन विभाग, सिरमौर, जिला रीवा (म. प्र.).	टमस बहाव सिंचाई योजना की टमस मुख्य नहर निर्माण में आने वाली भूमि एवं उस पर अर्जित संपत्ति के अर्जन हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 8 जनवरी 2016

क्र. 186-जि.भू.अ.-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही बांछित है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

## अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 (1) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1) सिवनी	(2) सिवनी रा.नि.मं. बण्डोल.	(3) पुरैरा, ब.नं. 346, प.ह.नं. 35.	(4) 15.00	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला छिंदवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली डी-2 माइनर एवं सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 187-जि.भू.अ.-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही बांछित है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

## अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 (1) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1) सिवनी	(2) सिवनी रा.नि.मं. सिवनी, भाग-1.	(3) बम्होड़ी, ब.नं. 357, प.ह.नं. 115.	(4) 3.31	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला छिंदवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली 25एल, 26एल माइनर नहर के निर्माण हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 188-जि.भू.अ.-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही बांछित है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 (1) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. बण्डोल.	गंगई, ब.नं. 148, प.ह.नं. 32.	2.00	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला छिंदवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली डी-2 माइनर एवं सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 189-जि.भू.अ.-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही बांछित है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 (1) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. सिवनी भाग-2.	नरेला, ब.नं. 303, प.ह.नं. 100.	25.00	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला छिंदवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली डी-2 माइनर एवं सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.



क्र. 190-जि.भू.अ.-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही बांछित है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 (1) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1) सिवनी	(2) सिवनी रा.नि.मं. सिवनी भाग-1.	(3) सुकरी, ब.नं. 583, प.ह.नं. 119.	(4) 1.50	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला छिंदवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली 7एल माइनर नहर के निर्माण हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 191-जि.भू.अ.-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही बांछित है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 (1) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1) सिवनी	(2) सिवनी रा.नि.मं. सिवनी भाग-1.	(3) चारगांव, ब.नं. 165, प.ह.नं. 118.	(4) 1.80	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला छिंदवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली 14एल, 15एल माइनर नहर के निर्माण हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 192-जि.भू.अ.-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही बांछित है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 (1) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. सिवनी भाग-2.	देवरी, ब.नं. 283, प.ह.नं. 99.	2.00	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला छिंदवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली डी-2 माइनर एवं सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 193-जि.भू.अ.-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही बांछित है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 (1) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. बण्डोल.	कुदवारी, ब.नं. 67, प.ह.नं. 35.	8.00	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला छिंदवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली डी-2 माइनर एवं सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 194-जि.भू.अ.-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 (1) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1) सिवनी	(2) सिवनी रा.नि.मं. सिवनी भाग-2	(3) सिमरिया, ब.नं. 567, प.ह.नं. 99.	(4) 0.35	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला छिंदवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली डी-2 माइनर एवं सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 195-जि.भू.अ.-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 (1) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1) सिवनी	(2) सिवनी रा.नि.मं. सिवनी भाग-2	(3) तिधरा, ब.नं. 258, प.ह.नं. 101.	(4) 4.50	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला छिंदवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली डी-2 माइनर एवं सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 196-जि.भू.अ.-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 (1) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. बण्डोल.	टिकारी, ब.नं. 224, प.ह.नं. 35.	8.00	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला छिंदवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली डी-2 माइनर एवं सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

क्र. 197-जि.भू.अ.-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा (12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है चूंकि नहर का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में ही किया जा चुका है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु कुछ आंशिक भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 (1) की उपधारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.मं. बण्डोल.	छुहाई, ब.नं. 118, प.ह.नं. 32.	7.00	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तह. चौरई, जिला छिंदवाड़ा (म. प्र.).	पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा से निकलने वाली डी-2 माइनर एवं सबमाइनर नहर के निर्माण हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किसी भी कार्यालयीन अवधि में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 12 जनवरी 2016

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ. . .-10 पत्र क्र. 351-भू-अर्जन-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1)2014-सात-शा. 2 ए भोपाल दिनांक 29-9-2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हेक्टर में) लगभग	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	हरदुआ मकोल	1.596	उप मुख्य अभियंता (नि.) पश्चिम मध्य रेल्वे, छतरपुर, म. प्र.	ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली महोबा-खजुराहो 541 कि.मी. नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ. . .-10 पत्र क्र. 352-भू-अर्जन-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1)2014-सात-शा. 2 ए भोपाल दिनांक 29-9-2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हेक्टर में) लगभग	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	खम्हरिया खुर्द	3.465	उप मुख्य अभियंता (नि.) पश्चिम मध्य रेल्वे, छतरपुर, म. प्र.	ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली महोबा-खजुराहो 541 कि.मी. नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ. . .-10 पत्र क्र. 353-भू-अर्जन-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1)2014-सात-शा. 2 ए भोपाल दिनांक 29-9-2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हेक्टर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	रेरुवा कलां	5.543	उप मुख्य अभियंता (नि.) पश्चिम मध्य रेल्वे, छतरपुर, म. प्र.	ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली महोबा-खजुराहो 541 कि.मी. नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र. क्र. एफ. . .-10 पत्र क्र. 354-भू-अर्जन-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-16-15-(1)2014-सात-शा. 2 ए भोपाल दिनांक 29-9-2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकवा (हेक्टर में) लगभग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	नागौद	नोवनिया	1.629	उप मुख्य अभियंता (नि.) पश्चिम मध्य रेल्वे, छतरपुर, म. प्र.	ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली महोबा-खजुराहो 541 कि.मी. नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संतोष मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 28 दिसम्बर 2015

प्रकरण क्रमांक **164/अ-82** वर्ष 2014-15 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है; इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला — पन्ना  
 (ख) तहसील — अजयगढ़  
 (ग) ग्राम — कुंवरपुर, प.ह.नं. 08  
 (घ) क्षेत्रफल — 286.33 हेक्टेयर,

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि का प्रकार
2	3	4
15	0.22	निजी भूमि
16	0.87	निजी भूमि
17	0.72	निजी भूमि
18	1.06	निजी भूमि
19	0.65	निजी भूमि
20	0.70	निजी भूमि
21/1	0.60	निजी भूमि
21/2	0.40	निजी भूमि
22	1.29	निजी भूमि
29	0.54	निजी भूमि
34	1.06	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
35/1	1.00	निजी भूमि
36/1	1.00	निजी भूमि
37	1.21	निजी भूमि
39/1	0.30	निजी भूमि
39/2	0.41	निजी भूमि
39/3	0.41	निजी भूमि
39/4	0.41	निजी भूमि
39/5	0.41	निजी भूमि
41/1	2.00	निजी भूमि
42	0.64	निजी भूमि
43	1.13	निजी भूमि
44	1.61	निजी भूमि
45	1.14	निजी भूमि
46	0.64	निजी भूमि
47/2	2.00	निजी भूमि
49/1	0.16	निजी भूमि
49/2	0.17	निजी भूमि
50/1	0.16	निजी भूमि
50/2	0.16	निजी भूमि
51/2	1.13	निजी भूमि
52/1	0.16	निजी भूमि
52/2	0.16	निजी भूमि
53	0.97	निजी भूमि
54	0.50	निजी भूमि
55	0.56	निजी भूमि
57	0.41	निजी भूमि
58	0.97	निजी भूमि
59	0.97	निजी भूमि
63	0.80	निजी भूमि
64/2	1.91	निजी भूमि
64/3	0.55	निजी भूमि
65	1.00	निजी भूमि
67	0.49	निजी भूमि
68	0.97	निजी भूमि
70	0.53	निजी भूमि
71/2	0.55	निजी भूमि
73	0.60	निजी भूमि
74	0.94	निजी भूमि
76	1.58	निजी भूमि
77	0.18	निजी भूमि
78/1	0.10	निजी भूमि



(1)	(2)	(3)
78/2	0.39	निजी भूमि
78/3	0.39	निजी भूमि
78/4	0.39	निजी भूमि
81	1.29	निजी भूमि
82	0.80	निजी भूमि
83/1	0.20	निजी भूमि
83/2	0.60	निजी भूमि
87	0.73	निजी भूमि
91	1.03	निजी भूमि
93	0.92	निजी भूमि
94	1.39	निजी भूमि
95/1क	0.13	निजी भूमि
95/1ख	0.14	निजी भूमि
95/2	0.80	निजी भूमि
98	1.97	निजी भूमि
99	0.66	निजी भूमि
100	0.90	निजी भूमि
101	0.45	निजी भूमि
102	0.42	निजी भूमि
103	0.74	निजी भूमि
104	0.11	निजी भूमि
105	0.17	निजी भूमि
106	0.12	निजी भूमि
107	0.12	निजी भूमि
108	0.38	निजी भूमि
109	0.41	निजी भूमि
110	0.43	निजी भूमि
111/1	0.90	निजी भूमि
111/2	0.90	निजी भूमि
112	0.79	निजी भूमि
113	0.68	निजी भूमि
114	0.41	निजी भूमि
116	0.17	निजी भूमि
117	0.17	निजी भूमि
119	0.33	निजी भूमि
120	0.33	निजी भूमि
121	0.23	निजी भूमि
123	0.46	निजी भूमि
126	0.46	निजी भूमि
129/1	0.44	निजी भूमि
129/2	0.45	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
130/1	0.23	निजी भूमि
130/2	0.24	निजी भूमि
132/1	0.19	निजी भूमि
132/2	0.20	निजी भूमि
139	0.55	निजी भूमि
141	1.79	निजी भूमि
142	0.97	निजी भूमि
143	0.25	निजी भूमि
144	0.83	निजी भूमि
145	0.97	निजी भूमि
146	0.50	निजी भूमि
147	0.89	निजी भूमि
148/2	1.50	निजी भूमि
149	0.43	निजी भूमि
151	1.41	निजी भूमि
152	1.49	निजी भूमि
153	0.71	निजी भूमि
154	0.94	निजी भूमि
155	0.53	निजी भूमि
157	1.63	निजी भूमि
158	1.07	निजी भूमि
159	1.07	निजी भूमि
160	1.00	निजी भूमि
161	1.14	निजी भूमि
162	0.80	निजी भूमि
163	2.04	निजी भूमि
164	0.58	निजी भूमि
165	0.54	निजी भूमि
166	1.52	निजी भूमि
169	0.14	निजी भूमि
170	0.03	निजी भूमि
173	0.85	निजी भूमि
174	1.51	निजी भूमि
175	1.51	निजी भूमि
176	2.11	निजी भूमि
177	0.34	निजी भूमि
178	0.25	निजी भूमि
179	0.93	निजी भूमि
180/1	2.14	निजी भूमि
180/2	1.82	निजी भूमि
182	0.82	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
184	0.20	निजी भूमि
186	1.29	निजी भूमि
187	0.97	निजी भूमि
188	0.13	निजी भूमि
189	0.09	निजी भूमि
190	0.25	निजी भूमि
191	1.00	निजी भूमि
192	0.25	निजी भूमि
194	0.72	निजी भूमि
195	0.49	निजी भूमि
197	2.07	निजी भूमि
198	0.54	निजी भूमि
199	0.21	निजी भूमि
200/2	2.00	निजी भूमि
201	0.50	निजी भूमि
203	0.97	निजी भूमि
204	1.37	निजी भूमि
206	0.11	निजी भूमि
207	1.62	निजी भूमि
208	0.96	निजी भूमि
209	1.25	निजी भूमि
210	0.48	निजी भूमि
211	0.42	निजी भूमि
212	0.79	निजी भूमि
213	0.39	निजी भूमि
214	1.64	निजी भूमि
215	2.02	निजी भूमि
216/2	2.00	निजी भूमि
219	0.54	निजी भूमि
220	1.07	निजी भूमि
221	0.97	निजी भूमि
223	0.25	निजी भूमि
225	1.26	निजी भूमि
226	1.29	निजी भूमि
227	0.46	निजी भूमि
228	0.25	निजी भूमि
229	0.51	निजी भूमि
230	0.48	निजी भूमि
231	0.48	निजी भूमि
232	0.32	निजी भूमि
233	0.67	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
234	0.56	निजी भूमि
235	0.96	निजी भूमि
236	0.65	निजी भूमि
238	1.32	निजी भूमि
239	0.40	निजी भूमि
240	0.31	निजी भूमि
241	1.47	निजी भूमि
242/1	0.72	निजी भूमि
242/2	0.36	निजी भूमि
243/1	0.78	निजी भूमि
243/2	0.40	निजी भूमि
244/1	0.60	निजी भूमि
244/2	0.61	निजी भूमि
245	0.47	निजी भूमि
249/1	0.32	निजी भूमि
249/2	0.32	निजी भूमि
249/3	0.33	निजी भूमि
249/4	0.33	निजी भूमि
254	0.66	निजी भूमि
257	1.33	निजी भूमि
258	0.18	निजी भूमि
259	0.02	निजी भूमि
260	0.30	निजी भूमि
261	0.54	निजी भूमि
262	0.21	निजी भूमि
263	0.18	निजी भूमि
264	0.15	निजी भूमि
265	0.21	निजी भूमि
266	0.31	निजी भूमि
267	0.26	निजी भूमि
268	0.68	निजी भूमि
269	0.50	निजी भूमि
270	0.25	निजी भूमि
271	0.22	निजी भूमि
272	0.18	निजी भूमि
273	0.17	निजी भूमि
274	0.66	निजी भूमि
275	0.45	निजी भूमि
276	0.06	निजी भूमि
277	0.71	निजी भूमि
278	0.70	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
279	0.27	निजी भूमि
280	0.78	निजी भूमि
281	0.74	निजी भूमि
283	0.33	निजी भूमि
284	0.30	निजी भूमि
285	0.17	निजी भूमि
286	0.18	निजी भूमि
287	0.09	निजी भूमि
288	0.12	निजी भूमि
289	0.22	निजी भूमि
290	0.33	निजी भूमि
292	1.27	निजी भूमि
293	0.19	निजी भूमि
294	0.16	निजी भूमि
295	0.18	निजी भूमि
298	0.08	निजी भूमि
300	0.21	निजी भूमि
301	0.33	निजी भूमि
302	0.17	निजी भूमि
303	0.17	निजी भूमि
304	0.16	निजी भूमि
305	0.01	निजी भूमि
306	0.24	निजी भूमि
307	0.24	निजी भूमि
308	0.21	निजी भूमि
309	0.15	निजी भूमि
310	0.13	निजी भूमि
311	0.16	निजी भूमि
312	0.20	निजी भूमि
313	0.22	निजी भूमि
314	0.13	निजी भूमि
315	0.11	निजी भूमि
316	0.10	निजी भूमि
317	0.10	निजी भूमि
318	0.10	निजी भूमि
319	0.14	निजी भूमि
320	0.13	निजी भूमि
321	0.18	निजी भूमि
322	0.04	निजी भूमि
323	0.06	निजी भूमि
324	0.15	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
325	0.15	निजी भूमि
326	0.17	निजी भूमि
327	0.18	निजी भूमि
328	0.22	निजी भूमि
329	0.13	निजी भूमि
330	0.20	निजी भूमि
331	0.16	निजी भूमि
332	0.31	निजी भूमि
334/1	0.32	निजी भूमि
334/2	0.03	निजी भूमि
334/3	0.12	निजी भूमि
335	0.17	निजी भूमि
336/1	0.03	निजी भूमि
336/2	0.16	निजी भूमि
337	0.23	निजी भूमि
338	0.05	निजी भूमि
339	0.20	निजी भूमि
340	0.33	निजी भूमि
341	0.32	निजी भूमि
342	1.87	निजी भूमि
343	0.19	निजी भूमि
344/1	0.12	निजी भूमि
344/2	0.11	निजी भूमि
345	0.31	निजी भूमि
346	0.42	निजी भूमि
347	0.15	निजी भूमि
348	0.21	निजी भूमि
349	0.17	निजी भूमि
350	0.30	निजी भूमि
351	0.39	निजी भूमि
352	0.42	निजी भूमि
353	0.41	निजी भूमि
354	0.18	निजी भूमि
355	0.04	निजी भूमि
356/1	0.60	निजी भूमि
356/2	0.36	निजी भूमि
357	0.14	निजी भूमि
358	0.25	निजी भूमि
359	0.26	निजी भूमि
360/1	0.68	निजी भूमि
360/2	0.24	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
361	0.26	निजी भूमि
363	0.50	निजी भूमि
364	0.47	निजी भूमि
366	0.53	निजी भूमि
367	1.69	निजी भूमि
368	0.79	निजी भूमि
369	0.48	निजी भूमि
370	0.95	निजी भूमि
371	1.59	निजी भूमि
372	0.35	निजी भूमि
373	0.63	निजी भूमि
374	0.95	निजी भूमि
375	1.38	निजी भूमि
376	0.59	निजी भूमि
377	0.48	निजी भूमि
378	0.02	निजी भूमि
379	3.05	निजी भूमि
380	0.86	निजी भूमि
381	0.71	निजी भूमि
382	1.08	निजी भूमि
384	0.76	निजी भूमि
385	0.61	निजी भूमि
386	0.30	निजी भूमि
387	0.90	निजी भूमि
389	0.91	निजी भूमि
390	1.28	निजी भूमि
391	0.91	निजी भूमि
392	0.22	निजी भूमि
395	0.01	निजी भूमि
396	0.71	निजी भूमि
399/1	0.33	निजी भूमि
400	0.76	निजी भूमि
401	0.09	निजी भूमि
402	0.12	निजी भूमि
403	1.01	निजी भूमि
404	1.60	निजी भूमि
405	0.10	निजी भूमि
406	0.27	निजी भूमि
412	0.09	निजी भूमि
413	0.16	निजी भूमि
414	0.30	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
415 ✓	0.10	निजी भूमि
416	0.07	निजी भूमि
417	0.26	निजी भूमि
418	0.02	निजी भूमि
420	0.04	निजी भूमि
421	0.13	निजी भूमि
422	0.15	निजी भूमि
423	0.31	निजी भूमि
424	0.18	निजी भूमि
425	0.22	निजी भूमि
426	0.90	निजी भूमि
427	0.27	निजी भूमि
428	0.22	निजी भूमि
429	0.18	निजी भूमि
430	0.16	निजी भूमि
431	0.09	निजी भूमि
433	0.02	निजी भूमि
440	0.13	निजी भूमि
441	0.22	निजी भूमि
442	0.17	निजी भूमि
443	0.18	निजी भूमि
444	0.11	निजी भूमि
445	0.06	निजी भूमि
447	0.08	निजी भूमि
448	0.11	निजी भूमि
449	0.13	निजी भूमि
450	0.06	निजी भूमि
456	0.25	निजी भूमि
458	0.01	निजी भूमि
505/1	1.82	निजी भूमि
505/2	1.72	निजी भूमि
505/3	0.23	निजी भूमि
507	0.77	निजी भूमि
508	1.20	निजी भूमि
509	3.50	निजी भूमि
510	0.14	निजी भूमि
511	0.38	निजी भूमि
512	0.31	निजी भूमि
513	0.22	निजी भूमि
514/1	0.30	निजी भूमि
514/2	0.30	निजी भूमि



(1)	(2)	(3)
515	0.17	निजी भूमि
516	0.10	निजी भूमि
517/1	0.01	निजी भूमि
517/2	0.06	निजी भूमि
517/3	0.04	निजी भूमि
519	0.19	निजी भूमि
520	0.61	निजी भूमि
521	0.02	निजी भूमि
522	0.11	निजी भूमि
523	0.04	निजी भूमि
524	0.84	निजी भूमि
525	0.18	निजी भूमि
526	0.17	निजी भूमि
527	0.01	निजी भूमि
528	0.14	निजी भूमि
529	0.03	निजी भूमि
530	0.14	निजी भूमि
531	0.12	निजी भूमि
532	0.15	निजी भूमि
533	0.05	निजी भूमि
534	0.15	निजी भूमि
535	0.03	निजी भूमि
536	0.34	निजी भूमि
537/1	0.19	निजी भूमि
537/2	0.10	निजी भूमि
538	0.17	निजी भूमि
539	0.34	निजी भूमि
540	0.06	निजी भूमि
541	0.27	निजी भूमि
543	0.65	निजी भूमि
544	0.12	निजी भूमि
545	0.15	निजी भूमि
547	1.15	निजी भूमि
548	0.05	निजी भूमि
549	0.33	निजी भूमि
550	0.40	निजी भूमि
551	0.12	निजी भूमि
553	0.15	निजी भूमि
554	0.55	निजी भूमि
555	0.37	निजी भूमि
556	0.79	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
557	0.93	निजी भूमि
558	1.39	निजी भूमि
559	0.18	निजी भूमि
560/1	0.20	निजी भूमि
560/2	0.27	निजी भूमि
561	0.25	निजी भूमि
562/1	0.05	निजी भूमि
562/2	0.01	निजी भूमि
562/3	0.01	निजी भूमि
562/4	0.01	निजी भूमि
563	0.45	निजी भूमि
564	0.40	निजी भूमि
565	0.11	निजी भूमि
566	0.36	निजी भूमि
567	0.90	निजी भूमि
571	0.02	निजी भूमि
572	0.43	निजी भूमि
574	0.55	निजी भूमि
576/1	0.78	निजी भूमि
576/2	0.78	निजी भूमि
578	1.61	निजी भूमि
579	1.61	निजी भूमि
581/1क	0.20	निजी भूमि
581/1ख	0.20	निजी भूमि
581/1ग	0.21	निजी भूमि
581/1घ	0.20	निजी भूमि
581/2	0.80	निजी भूमि
583	0.16	निजी भूमि
584	0.38	निजी भूमि
585	0.03	निजी भूमि
586	0.62	निजी भूमि
587	1.14	निजी भूमि
588	0.85	निजी भूमि
589/1	1.12	निजी भूमि
589/2	0.28	निजी भूमि
590	0.25	निजी भूमि
591/1	0.27	निजी भूमि
591/2	0.10	निजी भूमि
591/3	0.10	निजी भूमि
592/1	0.29	निजी भूमि
592/2	0.29	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
593	0.05	निजी भूमि
594	0.32	निजी भूमि
595	0.76	निजी भूमि
596	0.02	निजी भूमि
597/1	0.38	निजी भूमि
597/2	0.29	निजी भूमि
597/3	0.28	निजी भूमि
598	0.09	निजी भूमि
600/1	0.23	निजी भूमि
600/2	0.15	निजी भूमि
601/1	0.69	निजी भूमि
601/2	0.20	निजी भूमि
602	1.48	निजी भूमि
603	0.11	निजी भूमि
604	0.73	निजी भूमि
605	0.23	निजी भूमि
606/1	0.01	निजी भूमि
606/2	0.01	निजी भूमि
606/3	0.01	निजी भूमि
607/1	0.13	निजी भूमि
607/2	0.12	निजी भूमि
608/1	0.14	निजी भूमि
608/2	0.13	निजी भूमि
608/3	0.14	निजी भूमि
609/1	0.12	निजी भूमि
609/2	0.12	निजी भूमि
609/3	0.12	निजी भूमि
610/1	0.11	निजी भूमि
610/2	1.80	निजी भूमि
611	0.90	निजी भूमि
612	0.02	निजी भूमि
613	1.78	निजी भूमि
614	0.28	निजी भूमि
615	1.02	निजी भूमि
616/1	0.14	निजी भूमि
616/2	0.14	निजी भूमि
617/1	0.14	निजी भूमि
617/2	0.14	निजी भूमि
618	0.07	निजी भूमि
619	0.01	निजी भूमि
623	0.10	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
624 ✓	0.14	निजी भूमि
632 ✓	0.22	निजी भूमि
633 ✓	0.81	निजी भूमि
634 ✓	0.27	निजी भूमि
635 ✓	0.17	निजी भूमि
636 ✓	0.37	निजी भूमि
637 ✓	0.67	निजी भूमि
638/1 ✓	0.18	निजी भूमि
638/2 ✓	0.17	निजी भूमि
641/1 ✓	0.02	निजी भूमि
641/2 ✓	0.03	निजी भूमि
643/1 ✓	0.48	निजी भूमि
643/2 ✓	0.47	निजी भूमि
644 ✓	0.01	निजी भूमि
645 ✓	0.55	निजी भूमि
646 ✓	0.58	निजी भूमि
647 ✓	0.23	निजी भूमि
648/1 ✓	0.59	निजी भूमि
648/2 ✓	0.25	निजी भूमि
649 ✓	0.03	निजी भूमि
650/1क ✓	0.49	निजी भूमि
650/1ख ✓	0.49	निजी भूमि
650/2 ✓	0.49	निजी भूमि
652 ✓	0.57	निजी भूमि
653 ✓	0.94	निजी भूमि
654 ✓	0.88	निजी भूमि
657 ✓	0.42	निजी भूमि
659 ✓	0.48	निजी भूमि
660 ✓	0.65	निजी भूमि
661 ✓	1.19	निजी भूमि
662 ✓	0.47	निजी भूमि
663 ✓	0.02	निजी भूमि
664 ✓	0.78	निजी भूमि
666/1क ✓	0.15	निजी भूमि
666/1ख ✓	0.16	निजी भूमि
666/2 ✓	0.31	निजी भूमि
667/1 ✓	0.01	निजी भूमि
667/2 ✓	0.01	निजी भूमि
668/1 ✓	0.14	निजी भूमि
668/2 ✓	0.14	निजी भूमि
668/3 ✓	0.54	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
669	0.58	निजी भूमि
670	0.06	निजी भूमि
671	0.60	निजी भूमि
673	0.14	निजी भूमि
674	0.04	निजी भूमि
681	0.36	निजी भूमि
682	0.11	निजी भूमि
683	0.02	निजी भूमि
688	0.18	निजी भूमि
689	0.07	निजी भूमि
691	0.06	निजी भूमि
6९	0.13	निजी भूमि
693	0.05	निजी भूमि
700	1.69	निजी भूमि
702	0.19	निजी भूमि
782	0.04	निजी भूमि
793	0.51	निजी भूमि
796	0.87	निजी भूमि
797	0.65	निजी भूमि
798	1.08	निजी भूमि
799	0.76	निजी भूमि
800/1	0.34	निजी भूमि
801	0.52	निजी भूमि
907/67	0.13	निजी भूमि
908/28	0.73	निजी भूमि
911/64	0.14	निजी भूमि
कुल रकवा निजी	<b>286.33</b>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मझगाय मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है.

0 प्रकरण क्रमांक 172/अ-82 वर्ष 2014-15 (भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है

## अनुसूची

### (1) भूमि का वर्णन:-

(क) जिला	—	पन्ना
(ख) तहसील	—	अजयगढ़
(ग) ग्राम	—	मझगांय, प.ह.नं. 15
(घ) क्षेत्रफल	—	367.34 हेक्टेयर,

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकवा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
773/1/kh ✓	1.190	निजी भूमि
77 ✓	0.500	निजी भूमि
77	0.050	निजी भूमि
8	2.670	निजी भूमि
8	1.420	निजी भूमि
(1) 8	(2) 0.280	(3) निजी भूमि
8	0.300	निजी भूमि
8	0.150	निजी भूमि
8	0.100	निजी भूमि
8	0.070	निजी भूमि
8	1.330	निजी भूमि
7	3.720	निजी भूमि
72	0.970	निजी भूमि
7	1.030	निजी भूमि
94	0.430	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
955	0.670	निजी भूमि
986	3.500	निजी भूमि
527	0.280	निजी भूमि
753/2	1.200	निजी भूमि
1009/2	2.080	निजी भूमि
674	0.840	निजी भूमि
778	1.180	निजी भूमि
805/5/gha	0.100	निजी भूमि
805/3	2.000	निजी भूमि
983/3	0.410	निजी भूमि
1004/2/kh	0.320	निजी भूमि
1036/2/kh	0.320	निजी भूमि
946/3	0.550	निजी भूमि
959/1	0.190	निजी भूमि
972/2	0.460	निजी भूमि
977/2	0.200	निजी भूमि
961/2	0.040	निजी भूमि
981/2	0.220	निजी भूमि
1004/2/ka	0.320	निजी भूमि
1036/2/ka	0.320	निजी भूमि
946/2	0.550	निजी भूमि
972/1	0.390	निजी भूमि
977/1	0.200	निजी भूमि
961/1	0.040	निजी भूमि
981/1	0.220	निजी भूमि
948	0.180	निजी भूमि
991	0.080	निजी भूमि
832/2	0.600	निजी भूमि
825/2	1.000	निजी भूमि
964	0.320	निजी भूमि
832/1/ka	0.300	निजी भूमि
825/1/ka	0.500	निजी भूमि
934/2	1.720	निजी भूमि
781	2.020	निजी भूमि
1069/1	2.060	निजी भूमि
1069/2	4.000	निजी भूमि
902/3	0.940	निजी भूमि
526	3.000	निजी भूमि
797	0.060	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
798/1	0.020	निजी भूमि
799	0.060	निजी भूमि
800	0.110	निजी भूमि
810/1	0.610	निजी भूमि
811	0.040	निजी भूमि
813	0.010	निजी भूमि
865	0.240	निजी भूमि
874	0.410	निजी भूमि
730	2.020	निजी भूमि
805/11	2.000	निजी भूमि
826	0.620	निजी भूमि
841/2	0.870	निजी भूमि
844/2	0.940	निजी भूमि
769/1	0.400	निजी भूमि
971	2.570	निजी भूमि
690	0.570	निजी भूमि
692	1.490	निजी भूमि
761/1	0.670	निजी भूमि
673	2.010	निजी भूमि
740	2.020	निजी भूमि
757	2.020	निजी भूमि
901	0.800	निजी भूमि
997/2	1.200	निजी भूमि
899	0.760	निजी भूमि
1033/2	1.500	निजी भूमि
931	2.020	निजी भूमि
761/2	0.670	निजी भूमि
898	0.870	निजी भूमि
983/2	0.400	निजी भूमि
984/2	1.130	निजी भूमि
788/1	0.480	निजी भूमि
788/2	0.480	निजी भूमि
788/3	0.480	निजी भूमि
998/2/ka	0.010	निजी भूमि
1000/2/ka	1.000	निजी भूमि
998/2/kh	0.010	निजी भूमि
1000/2/kh	1.000	निजी भूमि
998/2/ga	0.010	निजी भूमि
1000/2/ga	1.000	निजी भूमि



(1)	(2)	(3)
934/1	0.320	निजी भूमि
805/6/इ	0.400	निजी भूमि
842/5	0.110	निजी भूमि
873/1/इ	0.460	निजी भूमि
904/1	0.500	निजी भूमि
805/4/ka	0.040	निजी भूमि
896/2	0.070	निजी भूमि
906	0.070	निजी भूमि
942	0.880	निजी भूमि
916/1/ka	0.120	निजी भूमि
916/1/ga	0.420	निजी भूमि
652	0.140	निजी भूमि
1009/3	0.240	निजी भूमि
1014	0.800	निजी भूमि
745	2.020	निजी भूमि
773/1/ka	0.420	निजी भूमि
775/1	1.600	निजी भूमि
870/1	0.260	निजी भूमि
962/2	0.500	निजी भूमि
1033/4/kh	0.500	निजी भूमि
766	1.620	निजी भूमि
755	2.020	निजी भूमि
780	1.610	निजी भूमि
727/3	1.330	निजी भूमि
902/1	0.330	निजी भूमि
786/2/kh	0.700	निजी भूमि
993/1	2.000	निजी भूमि
773/3	2.000	निजी भूमि
866	2.480	निजी भूमि
805/6/kh	0.400	निजी भूमि
842/2	0.110	निजी भूमि
873/1/gh	0.440	निजी भूमि
1038	2.020	निजी भूमि
665	1.600	निजी भूमि
864	0.060	निजी भूमि
1097/763	2.000	निजी भूमि
787/1	0.260	निजी भूमि
787/2	0.260	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
787/3	0.260	निजी भूमि
787/4	0.260	निजी भूमि
787/5	0.260	निजी भूमि
787/6	0.250	निजी भूमि
859/1/gh	1.190	निजी भूमि
860/1	0.030	निजी भूमि
861/4	0.020	निजी भूमि
672	2.020	निजी भूमि
691	0.440	निजी भूमि
846	1.210	निजी भूमि
869	0.130	निजी भूमि
947	4.460	निजी भूमि
960	0.110	निजी भूमि
973	0.920	निजी भूमि
975	0.400	निजी भूमि
978	0.870	निजी भूमि
990	2.470	निजी भूमि
928	4.470	निजी भूमि
1004/2/gha	0.340	निजी भूमि
946/5	0.530	निजी भूमि
959/3	0.190	निजी भूमि
972/4	0.490	निजी भूमि
977/4	0.200	निजी भूमि
981/4	0.230	निजी भूमि
805/6/gha	0.400	निजी भूमि
842/4	0.110	निजी भूमि
873/1/kh	0.440	निजी भूमि
932	1.000	निजी भूमि
857	1.170	निजी भूमि
677/1	0.810	निजी भूमि
716/2	2.030	निजी भूमि
680/1	1.120	निजी भूमि
1009/1	1.040	निजी भूमि
732/1	0.890	निजी भूमि
732/2	0.600	निजी भूमि
791/1	0.290	निजी भूमि
791/2	0.240	निजी भूमि
798/2/ka	0.650	निजी भूमि
812/1	0.010	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
791/3	0.100	निजी भूमि
791/4	0.040	निजी भूमि
829	0.070	निजी भूमि
830	5.890	निजी भूमि
954	0.370	निजी भूमि
810/2	0.610	निजी भूमि
867	0.810	निजी भूमि
873/2	2.100	निजी भूमि
833	1.100	निजी भूमि
1098/668	2.000	निजी भूमि
678/2	1.420	निजी भूमि
680/2	0.500	निजी भूमि
681/2	0.040	निजी भूमि
682/2	0.040	निजी भूमि
687	0.130	निजी भूमि
679	2.030	निजी भूमि
1002	2.020	निजी भूमि
1034/1	1.770	निजी भूमि
1004/2/ga	0.320	निजी भूमि
1036/2ga	0.320	निजी भूमि
946/4	0.550	निजी भूमि
959/2	0.190	निजी भूमि
972/3	0.460	निजी भूमि
977/3	0.200	निजी भूमि
961/3	0.030	निजी भूमि
981/3	0.230	निजी भूमि
805/4/ga	0.040	निजी भूमि
896/3	0.070	निजी भूमि
904/2	0.340	निजी भूमि
909/1	0.110	निजी भूमि
938	2.030	निजी भूमि
1004/2/ang	0.300	निजी भूमि
946/6	0.530	निजी भूमि
972/5	0.480	निजी भूमि
977/5	0.130	निजी भूमि
981/5	0.200	निजी भूमि
979	0.290	निजी भूमि
982	1.430	निजी भूमि
677/2	1.000	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
680/3 ✓	0.400	निजी भूमि
682/3 ✓	0.040	निजी भूमि
676/2 ✓	0.600	निजी भूमि
907 ✓	0.610	निजी भूमि
1092/947 ✓	0.540	निजी भूमि
895 ✓	0.220	निजी भूमि
805/6/ka ✓	0.400	निजी भूमि
842/1 ✓	0.110	निजी भूमि
873/1/g ✓	0.440	निजी भूमि
873/1/ch ✓	0.010	निजी भूमि
742 ✓	2.020	निजी भूमि
805/4/gha ✓	0.100	निजी भूमि
785/3 ✓	2.000	निजी भूमि
903 ✓	1.000	निजी भूमि
908 ✓	0.150	निजी भूमि
905 ✓	0.070	निजी भूमि
943 ✓	0.090	निजी भूमि
944 ✓	1.500	निजी भूमि
805/5/ga ✓	0.620	निजी भूमि
678/1 ✓	0.490	निजी भूमि
761/3 ✓	0.680	निजी भूमि
805/5/ka ✓	0.620	निजी भूमि
916/1/kh ✓	0.600	निजी भूमि
930 ✓	2.020	निजी भूमि
805/5/ड ✓	0.010	निजी भूमि
1037 ✓	2.020	निजी भूमि
859/1/ka ✓	0.400	निजी भूमि
861/1 ✓	0.020	निजी भूमि
675 ✓	2.020	निजी भूमि
998/1 ✓	0.040	निजी भूमि
1000/1 ✓	3.000	निजी भूमि
744/1 ✓	0.670	निजी भूमि
744/2 ✓	0.670	निजी भूमि
744/3 ✓	0.680	निजी भूमि
1091/688 ✓	1.250	निजी भूमि
584 ✓	0.260	निजी भूमि
756 ✓	2.020	निजी भूमि
940 ✓	0.690	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
949	1.340	निजी भूमि
750	2.020	निजी भूमि
684	0.360	निजी भूमि
1007/2	0.500	निजी भूमि
1006/2	0.070	निजी भूमि
1010	1.170	निजी भूमि
1011	0.600	निजी भूमि
1012/2	0.700	निजी भूमि
734 ✓	0.650	निजी भूमि
777 ✓	2.020	निजी भूमि
950 ✓	1.200	निजी भूमि
957 ✓	0.150	निजी भूमि
1004/1 ✓	0.420	निजी भूमि
1033/3 ✓	2.000	निजी भूमि
805/4/kh ✓	0.040	निजी भूमि
896/1	0.110	निजी भूमि
904/3	0.360	निजी भूमि
909/2	0.160	निजी भूमि
962/3	0.500	निजी भूमि
1033/4/ga	0.500	निजी भूमि
676/1	1.420	निजी भूमि
935	0.570	निजी भूमि
1015	0.900	निजी भूमि
994	0.900	निजी भूमि
832/1/kh ✓	0.300	निजी भूमि
825/1/kh	0.500	निजी भूमि
815	7.260	निजी भूमि
770/2/kh	0.160	निजी भूमि
774/2	0.900	निजी भूमि
774/3	0.620	निजी भूमि
775/2	0.370	निजी भूमि
776/2	0.750	निजी भूमि
776/3	0.400	निजी भूमि
946/1	0.630	निजी भूमि
974	0.170	निजी भूमि
713/1/ka	0.290	निजी भूमि
996	1.860	निजी भूमि
997/4 ✓	0.140	निजी भूमि
741	2.020	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
689	0.630	निजी भूमि
805/6/ga	0.400	निजी भूमि
842/3	0.110	निजी भूमि
873/1/k	0.440	निजी भूमि
812/2	0.400	निजी भूमि
798/2/kh	0.440	निजी भूमि
828	0.100	निजी भूमि
963	0.770	निजी भूमि
827	0.710	निजी भूमि
841/1	0.880	निजी भूमि
844/1	0.900	निजी भूमि
845	0.040	निजी भूमि
769/3	0.300	निजी भूमि
763	1.200	निजी भूमि
773/2	0.800	निजी भूमि
772/2	0.600	निजी भूमि
664	0.400	निजी भूमि
801	2.020	निजी भूमि
786/1	1.400	निजी भूमि
962/4	0.530	निजी भूमि
1033/4/gh	0.500	निजी भूमि
804	2.020	निजी भूमि
752	2.020	निजी भूमि
1003	2.030	निजी भूमि
970	5.490	निजी भूमि
850	1.320	निजी भूमि
871	0.130	निजी भूमि
872	0.060	निजी भूमि
796	2.020	निजी भूमि
1035	2.020	निजी भूमि
997/1	1.990	निजी भूमि
859/2	1.160	निजी भूमि
860/2	0.060	निजी भूमि
805/2	2.000	निजी भूमि
805/7	1.600	निजी भूमि
992/2	0.400	निजी भूमि
667	0.350	निजी भूमि
841/3	0.870	निजी भूमि
844/3	0.940	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
768	2.020	निजी भूमि
803	2.020	निजी भूमि
729	2.020	निजी भूमि
817/2	2.000	निजी भूमि
681/1/ka	0.650	निजी भूमि
681/1/kh	0.650	निजी भूमि
681/1/ga	0.640	निजी भूमि
1034/2	1.620	निजी भूमि
834	0.050	निजी भूमि
835	2.030	निजी भूमि
807	0.580	निजी भूमि
808	1.110	निजी भूमि
967	2.030	निजी भूमि
983/1	0.400	निजी भूमि
997/3	2.000	निजी भूमि
839/1	0.200	निजी भूमि
852	0.400	निजी भूमि
854	0.050	निजी भूमि
848	0.470	निजी भूमि
839/2	0.200	निजी भूमि
849	0.690	निजी भूमि
851	1.360	निजी भूमि
855	0.110	निजी भूमि
839/3	0.200	निजी भूमि
868	0.120	निजी भूमि
858	1.350	निजी भूमि
839/4	0.200	निजी भूमि
862	2.020	निजी भूमि
751	2.020	निजी भूमि
962/1	0.500	निजी भूमि
1033/4/ka	0.500	निजी भूमि
1008	2.030	निजी भूमि
918	0.930	निजी भूमि
876/2	0.330	निजी भूमि
682/1	0.690	निजी भूमि
760	2.020	निजी भूमि
1036/1	0.420	निजी भूमि
688	0.380	निजी भूमि
743/2	2.000	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
660	0.960	निजी भूमि
802	2.020	निजी भूमि
786/2/ka	0.690	निजी भूमि
727/4	0.670	निजी भूमि
683	0.250	निजी भूमि
669/2	0.650	निजी भूमि
670	1.350	निजी भूमि
859/1/kh	0.400	निजी भूमि
861/2	0.020	निजी भूमि
892/5	0.120	निजी भूमि
876/1	0.340	निजी भूमि
891	0.100	निजी भूमि
893	0.600	निजी भूमि
1049	1.800	निजी भूमि
1050	0.030	निजी भूमि
1057	0.220	निजी भूमि
1056	0.040	निजी भूमि
1046	1.100	निजी भूमि
1048	0.090	निजी भूमि
966	2.100	निजी भूमि
824	0.250	निजी भूमि
1007/1	0.500	निजी भूमि
965	2.500	निजी भूमि
870/2	0.260	निजी भूमि
662/1	0.490	निजी भूमि
859/1/ga	0.400	निजी भूमि
861/3	0.020	निजी भूमि
769/2	1.000	निजी भूमि
770/2/ka	0.440	निजी भूमि
771/3	0.670	निजी भूमि
995	1.150	निजी भूमि
1001	0.700	निजी भूमि
785/2	2.000	निजी भूमि
805/5/kh	0.620	निजी भूमि
805/16	1.500	निजी भूमि
1005/2	0.980	निजी भूमि
1006/1	1.550	निजी भूमि
1007/1	0.550	निजी भूमि
945	1.500	निजी भूमि



(1)	(2)	(3)
666 ✓	2.020	निजी भूमि
753/1 ✓	0.820	निजी भूमि
902/2 ✓	0.740	निजी भूमि
941/2 ✓	0.670	निजी भूमि
984/4 ✓	2.000	निजी भूमि
985 ✓	1.820	निजी भूमि
987 ✓	0.150	निजी भूमि
989 ✓	0.810	निजी भूमि
929 ✓	2.020	निजी भूमि
836 ✓	2.250	निजी भूमि
798/2/ga ✓	0.200	निजी भूमि
816 ✓	0.300	निजी भूमि
733/1 ✓	1.010	निजी भूमि
733/2 ✓	1.010	निजी भूमि
731 ✓	2.020	निजी भूमि
1036/2/घ ✓	0.320	निजी भूमि
1036/2/3 ✓	0.320	निजी भूमि
न रकवा निजी भूमि :-	<b>367.34</b> ✓	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मझगाय मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है.

प्रकरण क्रमांक 166/अ-82 वर्ष 2014-15 (भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है ३-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - पन्ना  
(ख) तहसील - अजयगढ़

- (ग) ग्राम - हनुमतपुर, प.ह.नं. 08  
 (घ) क्षेत्रफल - 81.235 हेक्टेयर,

सरा नम्बर (1)	कुल अर्जित रकवा (हेक्टेयर में) (2)	भूमि का प्रकार (3)
<del>2</del>	<del>3</del>	<del>4</del>
4 ✓	0.050	निजी भूमि
5 ✓	0.110	निजी भूमि
6 ✓	0.420	निजी भूमि
7 ✓	0.140	निजी भूमि
8 ✓	0.230	निजी भूमि
9 ✓	0.170	निजी भूमि
10 ✓	0.120	निजी भूमि
11 ✓	0.140	निजी भूमि
12 ✓	0.410	निजी भूमि
14 ✓	0.610	निजी भूमि
15 ✓	0.260	निजी भूमि
16 ✓	0.120	निजी भूमि
17 ✓	0.190	निजी भूमि
18 ✓	0.110	निजी भूमि
19 ✓	0.500	निजी भूमि
20 ✓	0.170	निजी भूमि
21 ✓	0.130	निजी भूमि
22 ✓	0.180	निजी भूमि
23 ✓	0.240	निजी भूमि
24 ✓	0.480	निजी भूमि
25 ✓	0.140	निजी भूमि
26 ✓	0.120	निजी भूमि
27 ✓	0.700	निजी भूमि
28 ✓	0.110	निजी भूमि
29 ✓	0.160	निजी भूमि
30 ✓	0.060	निजी भूमि
31 ✓	0.160	निजी भूमि
32 ✓	0.260	निजी भूमि
33 ✓	0.490	निजी भूमि
34 ✓	0.170	निजी भूमि
36 ✓	0.160	निजी भूमि
37 ✓	0.130	निजी भूमि
38 ✓	0.150	निजी भूमि
39 ✓	0.260	निजी भूमि
40 ✓	0.160	निजी भूमि
41 ✓	0.110	निजी भूमि
42 ✓	0.470	निजी भूमि
43 ✓	0.250	निजी भूमि
44 ✓	0.240	निजी भूमि
45 ✓	0.140	निजी भूमि
46 ✓	0.090	निजी भूमि
47 ✓	0.170	निजी भूमि
48 ✓	0.200	निजी भूमि
49 ✓	0.180	निजी भूमि
50 ✓	0.210	निजी भूमि
51 ✓	0.220	निजी भूमि
52 ✓	0.230	निजी भूमि
53 ✓	0.120	निजी भूमि
54 ✓	0.140	निजी भूमि
55 ✓	0.180	निजी भूमि
56 ✓	0.310	निजी भूमि
57 ✓	0.120	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
58	0.180	निजी भूमि
59	0.820	निजी भूमि
60	0.240	निजी भूमि
61	0.370	निजी भूमि
62	0.180	निजी भूमि
63	0.150	निजी भूमि
64	0.110	निजी भूमि
65	0.030	निजी भूमि
66	0.030	निजी भूमि
67	0.010	निजी भूमि
68	0.130	निजी भूमि
69	0.180	निजी भूमि
70	1.350	निजी भूमि
73	0.060	निजी भूमि
94	0.110	निजी भूमि
95	0.030	निजी भूमि
96	0.300	निजी भूमि
97	0.300	निजी भूमि
98	0.080	निजी भूमि
99	0.130	निजी भूमि
100	0.120	निजी भूमि
101	0.200	निजी भूमि
102	0.040	निजी भूमि
104	0.210	निजी भूमि
117	0.070	निजी भूमि
118	0.190	निजी भूमि
129	0.050	निजी भूमि
130	0.350	निजी भूमि
131	0.630	निजी भूमि
132	0.490	निजी भूमि
133	0.050	निजी भूमि
134	0.080	निजी भूमि
135	0.040	निजी भूमि
136	0.560	निजी भूमि
137	0.120	निजी भूमि
138	0.080	निजी भूमि
139	0.090	निजी भूमि
140	0.070	निजी भूमि
141	0.200	निजी भूमि
144	0.920	निजी भूमि
146	0.440	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
148	0.350	निजी भूमि
149	0.390	निजी भूमि
150	0.150	निजी भूमि
151/1	0.120	निजी भूमि
151/2	0.010	निजी भूमि
151/3	0.010	निजी भूमि
152	0.100	निजी भूमि
153	0.170	निजी भूमि
154	0.130	निजी भूमि
155	0.200	निजी भूमि
156	0.330	निजी भूमि
157	0.420	निजी भूमि
158	0.120	निजी भूमि
160	0.070	निजी भूमि
161	0.330	निजी भूमि
164	0.480	निजी भूमि
165	0.080	निजी भूमि
166	0.100	निजी भूमि
246	0.500	निजी भूमि
251	0.120	निजी भूमि
252	0.460	निजी भूमि
254	1.600	निजी भूमि
255	0.460	निजी भूमि
256	0.550	निजी भूमि
257	0.230	निजी भूमि
258	0.080	निजी भूमि
259	0.180	निजी भूमि
260	0.320	निजी भूमि
261	0.140	निजी भूमि
262	0.250	निजी भूमि
263	0.140	निजी भूमि
264	0.090	निजी भूमि
265	0.480	निजी भूमि
266	0.240	निजी भूमि
267	0.300	निजी भूमि
268	0.130	निजी भूमि
269	0.170	निजी भूमि
270	0.200	निजी भूमि
272	0.430	निजी भूमि
273	0.220	निजी भूमि
274	0.080	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
275	0.090	निजी भूमि
276	0.300	निजी भूमि
277	0.210	निजी भूमि
278	0.260	निजी भूमि
279	0.300	निजी भूमि
280	0.010	निजी भूमि
281	0.140	निजी भूमि
282	0.170	निजी भूमि
283	0.160	निजी भूमि
284	0.260	निजी भूमि
285	0.250	निजी भूमि
286	0.410	निजी भूमि
287	0.310	निजी भूमि
288	0.130	निजी भूमि
289	0.310	निजी भूमि
290	0.140	निजी भूमि
291	0.220	निजी भूमि
292	0.050	निजी भूमि
293	0.020	निजी भूमि
294	0.230	निजी भूमि
295	0.130	निजी भूमि
296	0.040	निजी भूमि
297	0.150	निजी भूमि
298	0.050	निजी भूमि
299	0.330	निजी भूमि
300	0.100	निजी भूमि
301	0.040	निजी भूमि
303	0.040	निजी भूमि
304	0.170	निजी भूमि
305	0.370	निजी भूमि
307/1	0.650	निजी भूमि
307/2	0.440	निजी भूमि
309	0.100	निजी भूमि
310	0.810	निजी भूमि
311	0.22	निजी भूमि
312	0.12	निजी भूमि
313	0.12	निजी भूमि
314	0.160	निजी भूमि
315	0.240	निजी भूमि
316	0.190	निजी भूमि
317	0.280	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
318 ✓	0.170	निजी भूमि
319 ✓	0.180	निजी भूमि
320 ✓	0.180	निजी भूमि
321 ✓	0.060	निजी भूमि
325 ✓	0.170	निजी भूमि
327 ✓	0.180	निजी भूमि
328 ✓	0.130	निजी भूमि
329 ✓	0.250	निजी भूमि
330 ✓	0.130	निजी भूमि
331 ✓	0.930	निजी भूमि
333 ✓	0.040	निजी भूमि
334 ✓	1.170	निजी भूमि
335 ✓	0.060	निजी भूमि
336 ✓	0.350	निजी भूमि
337 ✓	0.400	निजी भूमि
338 ✓	0.730	निजी भूमि
341 ✓	0.300	निजी भूमि
342 ✓	0.540	निजी भूमि
343 ✓	0.340	निजी भूमि
344 ✓	0.150	निजी भूमि
346 ✓	1.370	निजी भूमि
347 ✓	0.300	निजी भूमि
349 ✓	0.680	निजी भूमि
351 ✓	1.400	निजी भूमि
354 ✓	0.250	निजी भूमि
356/1 ✓	0.600	निजी भूमि
356/2 ✓	0.670	निजी भूमि
357 ✓	1.070	निजी भूमि
358 ✓	0.190	निजी भूमि
359 ✓	0.250	निजी भूमि
360 ✓	0.160	निजी भूमि
361 ✓	0.200	निजी भूमि
362 ✓	0.420	निजी भूमि
363/1 ✓	0.030	निजी भूमि
363/2 ✓	0.300	निजी भूमि
364 ✓	0.290	निजी भूमि
365 ✓	0.480	निजी भूमि
377 ✓	0.700	निजी भूमि
378 ✓	0.560	निजी भूमि
391 ✓	0.250	निजी भूमि
392 ✓	0.750	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
394	0.130	निजी भूमि
395	0.210	निजी भूमि
396	0.160	निजी भूमि
397	0.560	निजी भूमि
398	0.140	निजी भूमि
399	0.250	निजी भूमि
400	0.065	निजी भूमि
401	0.140	निजी भूमि
402	0.190	निजी भूमि
403/1	0.240	निजी भूमि
403/2	0.080	निजी भूमि
404	0.140	निजी भूमि
405	0.160	निजी भूमि
406/1	0.220	निजी भूमि
406/2	0.080	निजी भूमि
407	0.150	निजी भूमि
408	0.220	निजी भूमि
409	0.100	निजी भूमि
410	0.180	निजी भूमि
411	0.220	निजी भूमि
412	0.210	निजी भूमि
413	0.350	निजी भूमि
414	0.190	निजी भूमि
415	0.140	निजी भूमि
416	0.060	निजी भूमि
417	0.050	निजी भूमि
419	0.060	निजी भूमि
423	0.050	निजी भूमि
424	0.100	निजी भूमि
425	0.270	निजी भूमि
426	0.250	निजी भूमि
427	0.680	निजी भूमि
428	0.130	निजी भूमि
429	0.060	निजी भूमि
430	0.070	निजी भूमि
431	0.240	निजी भूमि
432	0.250	निजी भूमि
433	0.040	निजी भूमि
461	0.090	निजी भूमि
846	0.050	निजी भूमि
847	0.040	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
851 -	0.080	निजी भूमि
852 -	0.040	निजी भूमि
854 -	0.220	निजी भूमि
856 -	0.120	निजी भूमि
857 -	0.040	निजी भूमि
859 -	0.250	निजी भूमि
860 -	0.120	निजी भूमि
871 -	0.090	निजी भूमि
872 -	0.120	निजी भूमि
873 -	0.110	निजी भूमि
874 -	0.050	निजी भूमि
875 -	0.160	निजी भूमि
876 -	0.280	निजी भूमि
988 -	0.120	निजी भूमि
993 -	0.170	निजी भूमि
995 -	0.280	निजी भूमि
1015 -	0.160	निजी भूमि
1016 -	0.230	निजी भूमि
1019 -	0.140	निजी भूमि
1020 -	0.190	निजी भूमि
1021 -	0.650	निजी भूमि
1022 -	0.400	निजी भूमि
1023 -	0.230	निजी भूमि
1024 -	0.510	निजी भूमि
1026 -	0.360	निजी भूमि
1027 -	0.180	निजी भूमि
1029 -	0.040	निजी भूमि
1039 -	0.270	निजी भूमि
1040 -	0.120	निजी भूमि
1041 -	0.540	निजी भूमि
1042 -	0.500	निजी भूमि
1043/1	0.370	निजी भूमि
1043/2	0.370	निजी भूमि
1045 -	1.220	निजी भूमि
1046 -	0.500	निजी भूमि
1056 -	0.220	निजी भूमि
1057 -	0.150	निजी भूमि
1058 -	2.190	निजी भूमि
1059 -	0.380	निजी भूमि
1060 -	0.160	निजी भूमि
1062 -	0.030	निजी भूमि
	0.220	पन्ना भूमि
1064 -	0.140	निजी भूमि
1065 -	0.180	निजी भूमि
1066 -	0.160	निजी भूमि
1067 -	0.200	निजी भूमि
1068 -	0.150	निजी भूमि
1069 -	0.030	निजी भूमि
1070 -	0.100	निजी भूमि
1441/16 -	0.220	निजी भूमि
1442/349 -	0.680	निजी भूमि
1448/119 -	1.570	निजी भूमि
रकबा निजी भूमि :-	<b>81.235</b>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मझगाय मध्यम सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य निर्माण हेतु.  
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
शिव नारायण सिंह चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.



कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं  
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पत्र क्र. 25-प्रका.-भू-अर्जन-2016

रीवा, दिनांक 4 जनवरी 2016

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है, कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

**अनुसूची**

भूमि का वर्णन :-

- (क) जिला :- रीवा  
(ख) तहसील :- त्योथर  
(ग) ग्राम :- कोनी खुर्द  
(घ) क्षेत्रफल :- 0.096 हेक्टेयर

सं0क0	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा हेक्टेयर	
		निजी भूमि	शासकीय भूमि
1	306	0.096	-
	योग	0.096	0.000
	1 किता	0.096 हेक्टेयर	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "त्योथर बहाव योजना के नहर निर्माण " में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 31 /प्रका./भू-अर्जन/2015

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

**अनुसूची**

भूमि का वर्णन :-

- (क) जिला : रीवा  
(ख) तहसील : जवा

- (ग) ग्राम : ढखरा पैपखार 241  
(घ) क्षेत्रफल : 0.923 हे.

क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हेक्टेयर)		क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हेक्टेयर)	
		निजी भूमि	शासकीय भूमि			निजी भूमि	शासकीय भूमि
<b>(अ) निजी पट्टे की भूमि</b>				11	39	0.074	—
1	24	0.034	—	12	40	0.044	—
2	25	0.041	—	13	41	0.014	—
3	27	0.164	—	14	42	0.115	—
4	28	0.029	—	15	47	0.050	—
5	29	0.034	—	16	48	0.083	—
6	30	0.041	—	17	49	0.049	—
7	31	0.057	—	18	50	0.028	—
8	35	0.036	—	<b>योग</b>	<b>18 किता</b>	<b>0.923 हे.</b>	—
9	36	0.011	—	<b>(ब) शासकीय भूमि</b>			निरंक
10	38	0.019	—	<b>महायोग</b>	<b>18 किता</b>	<b>0.923 हे.</b>	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है — बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "त्योथर बहाव योजना के माइनर नहर एवं सबमाइनर नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 33 / प्रका./भू-अर्जन/2015

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन :-

- (क) जिला : रीवा  
(ख) तहसील : जवा  
(ग) ग्राम : धकरा पैपखार 274  
(घ) क्षेत्रफल : 0.467 हे.

क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हेक्टेयर)	
		निजी भूमि	शासकीय भूमि
<b>(अ) निजी पट्टे की भूमि</b>			
1	3	0.100	
2	10	0.048	
3	11	0.050	
4	12	0.039	
5	13	0.005	
6	17	0.034	
7	12	0.168	
<b>योग</b>	<b>7 किता</b>	<b>0.444 हे.</b>	—
<b>(ब) शासकीय भूमि</b>			
1	24	—	0.023
<b>योग</b>	<b>1 किता</b>		<b>0.023 हे.</b>
<b>महायोग</b>	<b>8 किता</b>	<b>0.467 हे.</b>	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है — बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "त्योथर बहाव योजना के माइनर नहर एवं सबमाइनर नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 35 / प्रका./ भू-अर्जन/2015

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन :-

- (क) जिला : रीवा  
 (ख) तहसील : जवा  
 (ग) ग्राम : चौर कोठार 186  
 (घ) क्षेत्रफल : 1.341 हे.

क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हेक्टेयर)		क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हेक्टेयर)	
		निजी भूमि	शासकीय भूमि			निजी भूमि	शासकीय भूमि
<b>(अ) निजी पट्टे की भूमि</b>				14	876	0.018	—
1	772	0.001	—	15	877	0.106	—
2	841	0.117	—	16	880	0.076	—
3	842	0.087	—	17	881	0.031	—
4	843	0.012	—	18	891	0.048	—
5	844	0.160	—	19	892	0.055	—
6	847	0.092	—	20	893	0.025	—
7	850	0.046	—	21	894	0.019	—
8	854	0.045	—	22	895	0.060	—
9	860	0.059	—	योग	22 किता	1.332 हे.	—
10	861	0.170	—	<b>(ब) शासकीय भूमि</b>			
11	869	0.016	—	1	696	—	0.009
12	874	0.010	—	योग	1 किता	—	0.009 हे.
13	875	0.079	—	महायोग	23 किता	1.341 हे..	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "त्योँथर बहाव योजना के माइनर नहर एवं सबमाइनर नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 37 / प्रका./भू-अर्जन/2015

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन :-

- (क) जिला : रीवा  
 (ख) तहसील : जवा  
 (ग) ग्राम : कुसहा पवाई नं. 1  
 (घ) क्षेत्रफल : 0.209 हे.

क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हेक्टेयर)	
		निजी भूमि	शासकीय भूमि
<b>(अ) निजी पट्टे की भूमि</b>			
1	2	0.072	
2	3	0.115	
3	5	0.019	
<b>योग</b>	<b>3 किता</b>	<b>0.206 हे.</b>	
<b>(ब) शासकीय भूमि</b>			
1	14		0.003
<b>योग</b>	<b>1 किता</b>		<b>0.003 हे.</b>
<b>महायोग</b>	<b>4 किता</b>	<b>0.209 हे.</b>	

- 2.) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "त्योथर बहाव योजना के माइनर नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- 3.) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 41 / प्रका./भू-अर्जन/2015

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन :-

- (क) जिला : रीवा  
 (ख) तहसील : जवा

(ग) ग्राम : रमगढ़वा पवाइ 486  
(घ) क्षेत्रफल : 8.110 हे.

क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हेक्टेयर)		क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हेक्टेयर)	
		निजी भूमि	शासकीय भूमि			निजी भूमि	शासकीय भूमि
<b>(अ) निजी पट्टे की भूमि</b>				15	470	0.016	—
1	414	0.135	—	16	471	0.044	—
2	418	0.013	—	17	473	0.029	—
3	419	0.041	—	18	519	4.380	—
4	420	0.020	—	19	521	0.152	—
5	438	0.014	—	20	523	1.728	—
6	439	0.039	—	21	556	0.005	—
7	441	0.022	—	<b>योग</b>	<b>21 किता</b>	<b>6.826 हे.</b>	—
8	443	0.024	—	<b>(ब) शासकीय भूमि</b>			
9	444	0.022	—	1	520	—	0.084
10	446	0.012	—	2	522	—	0.063
11	447	0.025	—	3	527	—	1.137
12	448	0.036	—	<b>योग</b>	<b>3 किता</b>	—	<b>1.284 हे.</b>
13	457	0.052	—	<b>महायोग</b>	<b>24 किता</b>	<b>8.110 हे.</b>	
14	469	0.017	—				

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है — बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "टमस मुख्य नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 43 / प्रका./भू-अर्जन/2015

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

#### अनुसूची

भूमि का वर्णन :-

(क) जिला : रीवा  
(ख) तहसील : जवा  
(ग) ग्राम : कछिगवाँ कोठार 53  
(घ) क्षेत्रफल : 1.303 हे.

क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हेक्टेयर)		क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हेक्टेयर)	
		निजी भूमि	शासकीय भूमि			निजी भूमि	शासकीय भूमि
<b>(अ) निजी पट्टे की भूमि</b>				15	58	0.093	—
1	14	0.113	—	16	78	0.010	—
2	15	0.032	—	17	79	0.024	—
3	16	0.091	—	18	80	0.076	—
4	20	0.088	—	19	108	0.081	—
5	22	0.022	—	20	131	0.097	—
6	23	0.030	—	21	133	0.024	—
7	29	0.043	—	22	134	0.074	—
8	30	0.055	—	23	135	0.047	—
9	31	0.053	—	<b>योग</b>	<b>23 किता</b>	<b>1.246 हे.</b>	—
10	33	0.022	—	<b>(ब) शासकीय भूमि</b>			
11	34	0.050	—	1	24	—	0.001
12	35	0.054	—	2	54	—	0.033
13	45	0.018	—	3	59	—	0.023
14	46	0.049	—	<b>योग</b>	<b>3 किता</b>	—	<b>0.057 हे.</b>
				<b>महायोग</b>	<b>26 किता</b>	<b>1.303 हे.</b>	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है — बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "टमस मुख्य नहर की चिल्ला शाखा नहर की माइनर नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

पत्र क्र. 45 / प्रका./भू-अर्जन/2015

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है :-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन :-

- (क) जिला : रीवा  
 (ख) तहसील : जवा  
 (ग) ग्राम : मनीपुर कोठार 454  
 (घ) क्षेत्रफल : 2.506 हे.

क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हेक्टेयर)		क्र.	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा (हेक्टेयर)	
		निजी भूमि	शासकीय भूमि			निजी भूमि	शासकीय भूमि
<b>(अ) निजी पट्टे की भूमि</b>				22	153	0.026	--
1	37	0.110	--	23	154	0.023	--
2	43	0.018	--	24	155	0.064	--
3	44	0.053	--	25	156	0.076	--
4	45	0.067	--	26	158	0.024	--
5	46	0.111	--	27	159	0.017	--
6	47	0.002	--	28	161	0.161	--
7	73	0.052	--	29	163	0.117	--
8	78	0.016	--	30	164	0.035	--
9	79	0.112	--	31	231	0.057	--
10	80	0.135	--	32	232	0.040	--
11	82	0.036	--	33	233	0.005	--
12	92	0.035	--	34	234	0.043	--
13	93	0.175	--	35	236	0.043	--
14	95	0.090	--	36	237	0.027	--
15	96	0.003	--	37	238	0.011	--
16	98	0.120	--	38	239	0.036	--
17	99	0.047	--	39	241	0.138	--
18	101	0.001	--	40	242	0.069	--
19	103	0.117	--	<b>योग</b>	<b>40 किता</b>	<b>2.506 हे.</b>	--
20	109	0.192	--	<b>(ब) शासकीय भूमि</b>			<b>निरंक</b>
21	110	0.002	--	<b>महायोग</b>	<b>40 किता</b>	<b>2.506 हे.</b>	

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - बाणसागर परियोजना के अंतर्गत "टमस मुख्य नहर की चिल्ला शाखा नहर की माइनर नहर निर्माण" में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
 बी.एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 12 जनवरी 2016

क्र. एफ . . . . . भू-अर्जन-355-2016.— चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इस के द्वारा यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है:-

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र.शासन /निजि खाता)  
 (क) जिला:- सतना  
 (ख) तहसील:- रघुराजनगर  
 (ग) नगर/ग्राम:-मझगंवा  
 (घ) क्षेत्रफल:- 0.131हे.

खसरा नं.	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
384/2/2	0.041
384/2/3	0.090

निजि खाता भूमि योग रकबा . . . 0.131

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली, महौबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण हेतु.  
 (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ . . . . . भू-अर्जन-356-2016.— चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है:-

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन:- (म. प्र.शासन /निजि खाता)  
 (क) जिला:- सतना  
 (ख) तहसील:-रघुराजनगर  
 (ग) नगर/ग्राम:- खैरा  
 (घ) क्षेत्रफल:- 0.802 हे0

खसरा नं.	अर्जित रकवा
2	0.012
3/1/1क /1/1	0.023
3/1/1क /1/2	0.023
3/1/1क/1/3	0.023
3/1/1क /1/4	0.023
3/1/1क /2	0.122
3/2/2	0.032
3/1/1ख /1क/5	0.007
3/1/1ख/1क/06	0.007
3/1/1ख/ 1क/15	0.007
3/1/1ख/ 1क/1/ 3/1 /1ख/2/1क /1	0.016
3/144	0.018
9/1ख/1	0.158 (न्यायालय में स्थल पर बटवारे का विवाद विचाराधीन हैं।)
9/1ख/2	
39	0.033
40/1/1	0.048
9/2ख	0.250
<b>योग</b>	<b>0.802 हे०</b>
<b>निजि खाता भूमि योग रकवा 0.802 हे०</b>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली, महौबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ . . . . भू-अर्जन-357-2016.—चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इस के द्वारा यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है:-

### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र.शासन /निजि खाता)
- (क) जिला:- सतना
- (ख) तहसील:- रघुराजनगर



(ग) नगर/ग्राम:-करही कोठार

(घ) क्षेत्रफल:- 0.678 हे.

खसरा नं.	कुल अर्जित रकवा हे. मे
135/154/1	0.026
135/154/2	0.090
143/2	0.141
135,	0.081
133/1	0.052
136/1	
143/1	0.141
142/1	0.121
142/3	0.026
योग	0.678 हे0
निजि खाता भूमि योग रकवा 0.678 हे0	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली, महौबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ . . . . . भू-अर्जन-358-2016.—चूँके राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इस के द्वारा यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है:-

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र.शासन /निजि खाता)
- (क) जिला:- सतना
- (ख) तहसील:- रघुराजनगर
- (ग) नगर/ग्राम:-सारिस्ताल
- (घ) क्षेत्रफल:- 3.430हे.

खसरा नं.	अर्जितरकवा
220/क/2/1	0.230
235/2	0.036
220 ब/1	0.071
220 ब/2	0.070
220 ब/3	0.070
23/2	0.142
24/1	0.016
23/3	0.062
24/2	0.004
23/1	0.215
22/1	0.239
22/2	0.214
22/3	0.273
22/4	0.247
25/4	0.025
28/1क/1	0.373
28/1/क	0.272
31/1/क	0.026
230/2	0.040
231/2	0.052
229/3	0.048
229/4क	0.051
231/3	0.034
232/2/ क /1/2	0.048
232/2/5	0.046
229/1	0.108
231/1	0.036
232/2/क/2	0.048
233	0.008
234/3/2 क	0.046
234/3/2ख	0.045
234/3/2ग	0.045
234/3/1क	0.150
229/4ख	0.040
योग	3.430 हे०
निजि खाता भूमि योग रकवा 3.430 हे.	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली, महौबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ . . . . भू-अर्जन-359-2016.— चूकें राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र. एक, सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है:-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म. प्र.शासन / निजि खाता)

(क) जिला:- सतना

(ख) तहसील:- रघुराजनगर

(ग) नगर/ग्राम:- देवरा

(घ) क्षेत्रफल:- 5.503 हे०

खसरा नं.	अर्जित रकवा
108/2/ग/2	0.169
109/3क/2	0.074
109/3ख/2	0.074
109/3ग/2	0.075
110/3क/2	0.022
110/3क/1	0.022
109/3क/1	0.025
110/3क/1	0.008
108/3ख/1	0.025
109/3ग/1	0.025
110/3ख/1	0.008
117/1घ	0.551
118/1घ	0.013
101/2/1	0.089
123/1ख	0.397
24/1/ब/1	0.332
23/1	0.425
108/1/क	0.161
16/5क	0.010
102/5/1	0.063
108/3/1	0.161
109/4क	0.100
82/1/क/2	0.045
82/2/क/1	0.045
29/1/2	0.291
30	0.089
29/1/1	0.032
32/2	0.191

(1)

(2)

32/4	0.184
22/21 ख	0.007
20/1/7/क	0.004
34/1	0.088
33/1/क/1/2	0.041
34/1/2	0.043
21/1/2/1	0.027
21/1/2	0.026
21/2	0.102
20/1/1	0.016
21/1/5	0.008
20/1/6क	0.004
20/1/6/ख	0.004
20/1/6/ग	0.004
19/2	0.077
16/1	0.324
16/3/क	0.005
16/4/ख	0.004
16/3/ख	0.005
16/5ख	0.012
33/1क/2/1	0.047
33/1क/2/3	0.032
33/1/2/4	0.020
21/1/1/2	0.020
21/1/1/3	0.020
21/1/1/4	0.020
21/1/1/5	0.017
33/1क/2/2	0.020
109/4/ख/2	0.095
101/1क/1/क	0.085
101/1क/2	0.082
101/1क/3	0.082
101/1क/4	0.082
101/1क/5	0.082
101/1ख/1	0.032
101/1ख/2	0.032
101/1/ख/3	0.033
101/1/ख/4	0.033
117/1ग/1	0.016
118/1ग	0.021
117/1ग/2	0.040
117/1ग/3	0.040
117/1ग/4	0.040
योग	<b>5.503</b>
निजि खाता भूमि योग रकबा 5.503 हे०	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली, महौबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ...../भू-अर्जन / 2013 के राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इस के द्वारा यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है:-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र.शासन /निजि खाता)

(क) जिला:-सतना

(ख) तहसील:-रघुराजनगर

(ग) नगर/ग्राम:-गिदुरी

(घ) क्षेत्रफल:-1.695 हे.

खसरानं.	कुलअर्जितरकवाहे. मे
11/4	0.161
11/3/1	0.048
11/3/2	0.048
11/3/3	0.024
11/3/4	0.025
11/3/5	0.067
11/3/6	0.024
11/3/7	0.025
6	0.004
7	0.008
10/2/1	0.018
11/2/1	0.054
11/1/क/1	0.136
10/2/2	0.033
11/2/2	0.055
11/2/3	0.055
11/1/क/2	0.088
45	0.081
28/2	0.005
29/2	0.007
30/2	0.006
33/2	0.015
34/2	0.018
41/2	0.003

(1)	(2)
44/2	0.035
47/2	0.022
50/2	0.013
29/5	0.010
28/3	0.005
29/3	0.007
30/3	0.006
33/3	0.015
34/3	0.018
41/3	0.004
44/3	0.033
47/3	0.022
50/3	0.013
28/4	0.005
29/4	0.007
30/4	0.006
33/4	0.015
34/4	0.019
41/4	0.003
44/4	0.032
47/4	0.022
50/4	0.013
28/1	0.005
29/1	0.010
30/1	0.006
33/1	0.015
34/1	0.021
41/1	0.004
44/1	0.037
47/1	0.030
50/1	0.014
26/1	0.010
5/2/ख	0.016
5/2/क	0.016
8	0.178
योग	1.695 हे०
निजि खाता भूमि योग रकवा 1.695 हे.	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिस के लिए अर्जन आवश्यक है ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महौबा-खजुराहो (541 किमी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला:-सतना के न्यायालय में किया जा सकता है।

क्र. एफ...../भू-अर्जन / 2013 के राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इस के द्वारा यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है:-

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म.प्र.शासन /निजि खाता)

(क) जिला:- सतना

(ख) तहसील:- रघुराजनगर

(ग) नगर/ग्राम:-बगहा

(घ) क्षेत्रफल:- 6.024 हे०

खसरा नं. (1)	अर्जित रकवा
241/3/2/1	0.299
241/3/2/2	0.072
241/3/2/3	0.072
250/2/2/1	0.049
241/3/3/1	0.322
241/3/3/2	0.069
241/3/3/3	0.069
241/1	0.273
248/2/1/1	0.234
248/986/2/1	0.131
249/2/1	0.038
248/2/2	0.053
248/986/2/2	0.131
248/2/3	0.053
248/986/2/3	0.130
248/2/4	0.053
248/986/2/4	0.0130
270/1	0.291
343/1/3/2	0.074
344/2	0.021
409/1	0.330
408/2	0.018
409/3	0.329
343/1/2	0.048
409/2	0.329
343/1/1	0.060
408/1	0.018
342/1/1	0.019

(1)

(2)

348/1/1	0.014
350/1/क	0.100
350/979/2	0.073
351/2	0.039
350/979/3	0.072
351/3	0.040
350/1/घ	0.099
403	0.041
404/क	0.055
404 ख	0.088
404 ग	0.088
404 घ	0.087
401	0.030
404/	0.048
404/ घ	0.048
399/1	0.261
399/2	0.012
396/1	0.061
398/1	0.057
398/2	0.048
345/1	0.022
276	0.016*
270/2/1	0.074
270/2/6	0.034
270/2/4/2	0.009
270/2/8	0.013
270/2/9	0.022
271/2	0.020
274/1/1/1	0.013
274/1/2/3	0.012
274/1/1/6	0.011
274/2/2	0.03
274/2/3	0.02
288/2	0.005
289/2/2/1	0.038
273/5	0.075
289/2/2/2	0.028
278/6	0.043
289/1/2	0.006
352/1	0.130
352/2	
352/3	
352/4	
352/5	
352/6	
352/7	
352/8	
352/9	
240/1004/2/1	0.010
240/1004/2/2	0.010



(1)	(2)
240/1004/8	0.016
240/1004/9	0.011
240/1004/10	0.014
240/1004/11	0.006
240/1004/17	0.001
240/1004/18	0.002
240/1004/1/2	0.010
240/1004/1/3	0.010
240/1004/1/4	0.010
240/1004/1/5	0.009
240/1005/3/2	0.030
240/1005/3/3	0.012
240/1005/3/4	0.008
240/1005/3/5	0.013
240/1005/3/6	0.006
240/1005/3/7	0.028
274/2/1	0.008
289/1/1	0.015
274/1/1	0.016
270/2/1	0.018
240/1004	0.064
योग	6.024
° निजि खाता भूमि योग रकवा 6.024 हे०	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली, महौबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ...../भू-अर्जन / 362/चूके राज्य शासन का इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013, संशोधन (क्र.-एक, सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक है:-

#### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:- (म. प्र.शासन / निजि खाता)

(क) जिला:- सतना

(ख) तहसील:- रघुराजनगर

(ग) नगर/ग्राम:- करही हरमल्ला

(घ) क्षेत्रफल:- 13.542 हे.

(1)	(2)
खसरा नं.	कुल अर्जित रकवा हे. मे
178/7 } शा.न.	0.014
179/3 }	
179/2	0.014
179/4	0.014
163	0.002
158/1	0.495
158/2	(न्यायालय मे स्थल पर बटवारे का विवाद विचाराधीन हैं।)
77/1	0.024
76	0.097
77/2	0.036
68/1	0.184
68/2	(न्यायालय मे स्थल पर बटवारे का विवाद विचाराधीन हैं।)
69/2क	1.798
69/2ख	(न्यायालय मे स्थल पर बटवारे का विवाद विचाराधीन हैं।)
69/2ग	
70/2/1	0.053
70/2/2	0.053
71/1ख	0.049
72/1ग/1	0.184
72/1ग/2	0.185
73/2	0.010
71/2	0.040
72/2	0.120
69/194/1	0.012
69/194/2	0.077
75	0.089
74	0.678
78/1क	0.074
78/1ख	0.141
78/3	0.032
51/197/2	0.036
51/197/1/2/2	0.004
51/197/1/2/4	0.040
51/197/1/2/3	0.031
51/1क/4 } शा.न.	1.612
51/1ख }	
51/2 }	
54/1/1क/1ब	0.203
54/1/1क/1ख	0.143
55	0.323
54/1/1क/1 } शा.न.	1.166
54/1/1क/1/द }	
54/1/1क/2 }	
53/1/2	0.008
61/2ख	0.883
63/2	0.182
63/1ख	0.006
57	0.036
58/1	0.034
60	0.028
62/2क	0.043
62/2ख	0.014
51/198/1/4/2	0.019
51/198/2/2	0.021
51/198/1/4/5	0.018
165/3	0.032
165/2/2	0.055
165/2/3	0.009
169/2/1/2	0.002
164/2/4	0.007
166/2	0.007
165/1/1	0.024
169/1/2	0.024
165/1/2	0.036
169/1/2	0.040
169/1/3	0.040
51/198/1/4/3	0.040
56/2	0.046

(1)	(2)
56/1	0.048
56/3	0.048
56/4	0.048
51/197/1/1	0.112
51/198/1/4/4	0.040
51/198/1/4/6	0.040
51/198/1/4/7	0.040
51/198/1/1	0.128
51/198/2/3	0.036
51/198/1/3	0.125
51/198/2/1	0.020
56/5	0.045
56/6	0.046
56/7	0.046
53/2/2	0.050
53/2/3	0.046
53/2/4	0.050
166/1/2	0.008
166/1/3	0.016
51/198/1/4/1	0.022
51/198/2/4	0.018
56/8	0.046
56/9	0.046
56/10	0.046
56/11	0.046
54/2	0.927
54/1/1क/1	0.036
53/2	0.145
53/2/5	0.050
53/2/6	0.050
53/2/7	0.050
53/2/8	0.050
53/2/9	0.050
53/2/10	0.050
72/1क	0.401
71/1क	0.020
70/1	0.052
72/190/1	0.175
73/1	0.081
72/1ख/1	0.261
167	0.027
168	0.122
56/12	0.046
56/13	0.046
योग	<b>13.542 हे०</b>
निजि खाता भूमि योग रकवा	<b>13.542 हे</b>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली, महौबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. एफ . . . . भू-अर्जन-363-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना  
(ख) तहसील—रघुराजनगर  
(ग) नगर/ग्राम—करहीपवाई  
(घ) क्षेत्रफल—6.494 हे.

खसरा नं.

अर्जित रकबा  
(हेक्टर में)

(1)	(2)
377/1	0.617
378/1	0.020
377/2	0.089
374	0.040
375	0.152
376	0.030
373/3	0.070
373/2	0.250
373/1	0.052
347/1	0.090
346/2	0.044
347/2	0.364
371/2घ	0.008
372/2घ	0.010
371/2ग	0.032
372/2ग	0.028
371/2/ङ	0.088
372/2/ङ	0.061
345/6	0.010
345/3	0.036
345/5	0.040
345/4	0.045
307/1, 308/1, 309 शा.न.	0.603
307/5	0.140
307/4	0.370
308/4	0.070
302/1, 302/2, 303/1	0.038
304, 305	0.603
116/1	0.150
117	0.101
286/2	0.262
286/1	0.150
282	0.040
283	0.016
284/2/2, 285/2/2 शा. न.	0.120
284/3, 285/3 शा. न.	0.075
284/4, 285/4 शा. न.	0.136

(1)

(2)

284/2/1, 285/2/1 शा. न.	0.028
284/1, 285/1 शा. न.	0.101
289	0.008
256	0.040
291/1/5	0.032
291/2/5	0.032
292/1/2	0.016
292/2/2	0.017
291/1/1	0.085
291/2/1	0.085
292/1/1	0.037
292/2/1	0.036
291/1/2	0.010
291/1/3	0.015
291/2/3	0.031
291/1/4	0.031
291/2/4	0.014
239	0.330
379/1/1	0.018
310/2क	0.093
311/2क/1	0.119
311/2क/2	0.070
311/2क/3	0.048
311/1	0.040
311/1/2	0.017
310/4क	0.006
310/4 ख	0.026
310/5क	0.010
310/5ख	0.030
319/6क	0.020
310/6ख	0.038
310/7क	0.024
310/7ख	0.048
310/2ख/1	0.144
310/3/1	0.155
311/2ख/1	0.045
310/2ख/9	0.011
310/2ख/5	0.011
310/2ख/2	0.011
310/2ख/6	0.011
310/2ख/4	0.011
310/3/9	0.046
310/3/10	0.047

निजी खाता भूमि योग रकबा . . 6.494

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए अर्जन आवश्यक है—ललितपुर-सतना-रीवा-सिंगरौली, महौबा-खजुराहो (541 कि.मी.) नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
संतोष मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

## उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 11 जनवरी 2016

क्र. A-83-दो-2-26-2011.—

श्री वेद प्रकाश शर्मा, रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 21.12.2015 से 29.12.2015 तक 09 दिवस के अर्जित/शीतकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2013 से वर्ष 2015 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3/(ए)19/03/ 21-ब(एक), दिनांक 15.06.2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666/21-ब (एक) 2011, दिनांक 08.08.2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है ।

क्र. E-107-दो-2-6-2015.—

श्री शैलेन्द्र शुक्ला, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार(सतर्कता), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 21.12.2015 से 24.12.2015 तक 04 दिवस के शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 25.12.2015 से 26.12.2015 तक 02 दिवस के अर्जित अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2013 से वर्ष 2015 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3/(ए)19/03/ 21-ब(एक), दिनांक 15.06.2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666/21-ब (एक) 2011, दिनांक 08.08.2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है ।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
 व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

क्र. E-109-दो-2-72-2015.—

श्री अरुण सिंह तोमर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3/(ए)19/03/21-ब(एक), दिनांक 15.06.2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अतंगत दिनांक 01.11.2013 से दिनांक 31.10.2015 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

क्र. E-111-दो-2-45-2013.—

श्री अनुपम श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को दिनांक 25.01.2016 से दिनांक 02.02.2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 09 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24.01.2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अनुपम श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है ।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनुपम श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 12 जनवरी 2016

क्र. E-143-दो-2-27-2011.—

श्री जे.पी. माहेश्वरी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बुरहानपुर को दिनांक 26.11.2015 का 01 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री जे.पी. माहेश्वरी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था ।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे.पी. माहेश्वरी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-145-दो-2-47-20150.—

श्री आर.एन. पटेल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 26.12.2015 का 01 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 एवं 25.12.2015 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 27.12.2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर.एन. पटेल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर.एन. पटेल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-146-दो-3-35-2011.—

श्री आर.पी. वर्मा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को दिनांक 15.10.2015 से दिनांक 17.10.2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 03 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18.10.2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर.पी. वर्मा, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इंदौर को इंदौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर.पी. वर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-148-दो-2-56-2010.—

श्री महेश प्रसाद अवस्थी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नरसिंहपुर को दिनांक 26.11.2015 से दिनांक 28.11.2015 तक 03 दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 29.11.2015 से 02.12.2015 तक 04 दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री महेश प्रसाद अवस्थी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री महेश प्रसाद अवस्थी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-151-दो-2-32-2014.—

श्री आर.के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 14/12/2015 का 01 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर.के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर.के. सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।



क्र. E-153-दो-2-51-2015.—

श्री के.एस. शाक्य, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, हरदा को दिनांक 23.11.2015 से दिनांक 05.12.2015 तक 13 दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 01.12.2015 से दिनांक 05.12.2015 तक 05 दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र. E-164-दो-2-59-2015.—

श्री राजदीप सिंह ठाकुर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उमरिया को दिनांक 23.11.2015 से दिनांक 26.11.2015 तक 04 दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 27.11.2015 से 28.11.2015 तक 02 दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29.11.2015 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजदीप सिंह ठाकुर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजदीप सिंह ठाकुर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-166-दो-2-51-2008.—

श्रीमती अंजुली पालो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दिनांक 14.12.2015 से दिनांक 16.12.2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 03 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती अंजुली पालो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती अंजुली पालो उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती।

क्र. E-168-दो-2-46-2015.—

श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, टीकमगढ़ को दिनांक 26.11.2015 से दिनांक 28.11.2015 तक 03 दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 29.11.2015 से दिनांक 01.12.2015 तक 03 दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

Jabalpur, the 4<sup>th</sup> January 2016

No. 3.—In exercise of the powers conferred by the clause (2) of the Article 229 of the Constitution of India, Hon'ble the Chief Justice, High Court of Madhya Pradesh Jabalpur makes the following amendments in the, "High Court of M.P. (Absorption and Condition of Services in respect of Officers and Employees of Abolished M.P. Administrative Tribunal,) Service Rules, 2006" with immediate effect:-

1. Clause-iv of sub heading **Class-I** of Rule 7 be substituted by the following:-

**(iv)-Deputy Registrar:-** By promotion from amongst the Assistant Registrar or by deputation from among Civil Judges (Class-I) of M.P. Lower Judicial Service.

2. Before Clause-i of sub heading **Class-II** of Rule 8, following be added :-

**(i)-Assistant Registrar:-** By selection from amongst Private Secretaries/ Section Officers/ Protocol Officer/ Accounts Officer on the basis of ACRs of last 5 years, overall performance and working experience in the Administrative and Judicial Branches and on consideration of capability to perform duties assigned to an Assistant Registrar. The post of Assistant Registrar shall be filled from amongst the Officers of the secretarial cadre and other Class-II cadre in the ratio of 40:60.

3. Existing Clause (i) of Sub heading **Class-II** of rule 8 be renumbered as (i-a)

VED PRAKASH, Registrar General.

जबलपुर, दिनांक 6 जनवरी 2016

क्र. 07-गोपनीय-2016-दो-2-1-2016(भाग-बी).—

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित न्यायिक अधिकारी, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा0 क्रमांक 3(ए) 05/2015/21-ब(एक) (मेरिट क्रमांक 05), दिनांक 11-12-2015 द्वारा उच्चतर न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर वेतनमान 51550-1230-58930-1380-63070 में अस्थायी रूप से दो वर्ष की परीक्षा पर या अन्य आदेश तक नियुक्त किया गया है, को निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में दर्शाये अनुसार उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रशिक्षण हेतु पदस्थ करता है:—

## सारणी

क्र.	नाम	पदस्थापना का स्थान	पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री हितेन्द्र द्विवेदी	मुरैना	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से।

क्र. 09-गोपनीय-2016-दो-3-250-57 (भाग-34).—

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थियों को, जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा0 क्रमांक 3(बी)2/2014/21-ब(एक) (मेरिट क्रमांक ) दिनांक 08-12-2015 एवं 21/23-12-2015 द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्त किया गया है, को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)
1	कुमारी प्रियंका मालपानी	रायसेन	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, रायसेन के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज)।
2	कुमारी अनुष्का शर्मा	देवास	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, देवास के न्यायालय के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज)।
3	श्री कन्हैया जी	ग्वालियर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, ग्वालियर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज)।
4	कुमारी बिंदिया दुबे	छिन्दवाड़ा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, छिन्दवाड़ा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज)।
5	कुमारी बाबी जुनेजा	सीहोर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, सीहोर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज)।
6	श्री नीरज कुमार प्रजापति	विदिशा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, विदिशा के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज)।
7	श्री अक्षत तायल	अशोकनगर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, अशोकनगर के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज)।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 6 जनवरी 2016

क्र. C-71-दो-3-130-2009.—

श्री आनन्द व्ही मण्डलोई, बजट अधिकारी/ एडीशनल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 07.12.2015 से दिनांक 11.12.2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 05 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 06.12.2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आनन्द व्ही मण्डलोई, बजट अधिकारी/ एडीशनल रजिस्ट्रार,, उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आनन्द व्ही मण्डलोई उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो बजट अधिकारी/ एडीशनल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 12 जनवरी 2016

क्र. E-114-दो-14-29-1986.—

श्री किशोर पिथवे, डिप्टी रजिस्ट्रार(जे), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 27.01.2016 से दिनांक 12.02.2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके (17) दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 एवं 14.02.2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री किशोर पिथवे, डिप्टी रजिस्ट्रार(जे), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री किशोर पिथवे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहती।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.